

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्र. 1565-वि.यो.-646-शहडोल-नग्रानि-2023

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि शहडोल निवेश क्षेत्र के लिए शहडोल विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Shahdol/Shahdol2035D.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला शहडोल, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शहडोल म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप शहडोल विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल या ई-मेल आईडी obj-sugg-shahdol@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

No.1565-D.P.-646-Shahdol-TCP-2023

Bhopal, the 24th March 2023

NOTICE

Notice is hereby given that the Shahdol Development Plan, 2035 for Shahdol Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section-23 read with sub-section [1] of Section-18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website –

<https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Shahdol/Shahdol2035D.pdf> and at following offices during office hours namely :-


1. Commissioner, Shahdol Division, Shahdol, M.P.
2. Collector, District- Shahdol, M.P.
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Shahdol.
4. Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Shahdol

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Shahdol Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Shahdol or mail on Email-id- obj-sugg-shahdol@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

Mukesh Chand Gupta, OSD-cum-Commissioner-cum-Director.



शहडोल विकास योजना 2035 (प्रारूप)



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

प्रस्तावना

संभागीय मुख्यालय नगर शहडोल विंध्य पर्वत माला की मैकल पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में स्थित पूर्वी मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण नगर है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर स्थित है। नगर प्रशासकीय दृष्टि से संभागीय एवं जिला मुख्यालय है। यहाँ महाभारत कालीन राजा विराट द्वारा निर्मित विराट मंदिर, वास्तुकला एवं तत्कालीन संस्कृति का जीवित उदाहरण है, जो भारत सरकार द्वारा अभिरक्षित इमारतों में शामिल है। नगर के आसपास स्थित कोयला खदानों तथा ओरियण्टल मिल का प्रभाव प्रमुख रूप से परिभ्रमण तंत्र पर दृष्टिगोचर होता है।

वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर शहडोल विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा रहा है। इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। प्रारूप प्रकाशन हेतु योजना काल वर्ष 2035 रखा गया है। योजना काल की प्रक्षेपित जनसंख्या 2.50 लाख आंकलित कर नगर विकास की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। इस विकास योजना में पारम्परिक भूमि उपयोग निर्धारित ना करते हुए नगर की आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किये गए हैं। मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगों को एक साथ रखा गया है, जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है साथ ही नगर के परिवहन को उन्नयन करते हुये नगर को संभागीय स्तर का प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकसित करना प्रस्तावित किया गया है।

यह योजना सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक, सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सके।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

योजना दल**संचालनालय**

सी.के. साधव
डॉ अमित कुमार गजभिये
इंदु त्रिपाठी

संयुक्त संचालक
संयुक्त संचालक
सहायक संचालक

मुख्य योजना दल

आर.के. पाण्डेय
नागेश पन्द्रो
संकल्प शुक्ला

संयुक्त संचालक
सहायक संचालक
सहायक संचालक

कर्मचारीगण

ईश्वरमणि सोनी
प्रकाश कुमार तिवारी
जीवनलाल बैगा

अनिल सक्सेना
अरविंद सक्सेना
सर्वेश पिड़िहा
सरिता ठाकुर
मानसी गुज्जेवार

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (LU&USD) का दल

डॉ. विवेक कटारे
हेड, प्रिंसिपल सांईटिस्ट

डॉ. शैलेजा देसाई
(रिसर्च एसोसिएट)

निधि धाकड़
(वरिष्ठ रिसर्च फेलो)

विषय सूची

प्रस्तावना	
याजना दल	
विषय सूची	
सारणी सूची	
मानचित्र सूची	
अध्याय- 1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ.....	
1.1 नगर परिचय.....	
1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि	
1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ.....	
1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति.....	
1.2.1 भौतिक स्वरूप.....	
1.2.2 प्राकृतिक जल निकास.....	
1.2.3 जलवायु.....	
1.2.4 वायु दिशा.....	
1.2.5 भू-आकृति.....	
1.2.6 भू-गर्भीय संरचना एवं खनिज संपदा.....	
1.3 नियोजन हेतु प्रयास	
1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य.....	
1.5 निवेश क्षेत्र	
1.6 नगर पालिका क्षेत्र	
अध्याय- 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण.....	
2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग.....	
2.1.1 अमृत योजना.....	
2.1.2 सुदूर संवेदन.....	
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली.....	
2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली	1
2.2.1 उद्देश्य.....	1
2.2.2 कार्यप्रणाली.....	1

- 2.3 अमृत मानकों की व्याख्या.....
- 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping).....
- 2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता.....
- 2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प.....
- 2.5 भूमि उपयोग का आवंटन.....
- अध्याय- 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण.....
- 3.1 क्रियान्वयन परिदृश्य.....
- 3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन.....
- 3.2.1 आवासीय.....
- 3.2.2 वाणिज्यिक.....
- 3.2.3 औद्योगिक.....
- 3.2.4 मिश्रित.....
- 3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें.....
- 3.2.6 आमोद-प्रमोद.....
- 3.2.7 यातायात एवं परिवहन.....
- 3.2.8 नगरीय परिभ्रमण संरचना.....
- 3.3 अधिनियम की धारा 23-क (1) अंतर्गत उपांतरण.....
- 3.4 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन.....
- 3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण.....
- 3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण.....
- 3.5.2 जनसंख्या घनत्व.....
- 3.5.3 जनसंख्या लिंगानुपात.....
- 3.5.4 शिशु जनसंख्या.....
- 3.5.5 शिशु लिंगानुपात.....
- 3.5.6 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या.....
- 3.5.7 साक्षरता.....
- 3.5.8 कार्यशील जनसंख्या.....
- 3.5.9 जनसंख्या परिवर्तन.....
- 3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप.....
- 3.7 नगरीय विस्तार.....
- 3.8 अनुमानित जनसंख्या.....

- 3.8.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या.....
- 3.8.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या.....
- 3.8.3 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या.....
- 3.9 गंदी बस्तियाँ.....
- 3.10 आवासीय इकाईयां की भावी आवश्यकता.....
- 3.11 भौतिक अधोसंरचना.....
- 3.11.1 जल प्रदाय.....
- 3.11.2 जल-मल निकास एवं उपचार.....
- 3.11.3 वर्षा जल निकासी.....
- 3.11.4 विद्युत प्रदाय.....
- 3.11.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.....
- 3.12 सामाजिक अधोसंरचना.....
- 3.12.1 शासकीय कार्यालय.....
- 3.12.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ.....
- 3.12.3 शैक्षणिक संस्थाएँ.....
- 3.12.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान.....
- 3.12.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र.....
- 3.12.6 क्रीडांगन/खेल परिसर.....
- 3.12.7 डेयरी फार्म/कुक्कुट पालन.....
- 3.12.8 स्लॉटर हाउस.....
- 3.12.9 मेला स्थल.....
- 3.12.10 प्रदर्शनी स्थल.....
- 3.12.11 ए.टी.एम.....
- 3.12.12 अन्य सेवाएं-सुविधाएं.....
- 3.12.13 इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशन.....
- 3.12.14 सी.एन.जी. Compressed Natural Gas वितरण सेवा.....
- अध्याय- 4 विकास योजना प्रस्ताव-2035.....
- 4.1 विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन.....
- 4.2 योजना अवधारणा.....
- 4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता.....
- 4.4 भूमि उपयोग 2035.....

- 4.4.1 आवासीय
- 4.4.2 वाणिज्यिक
- 4.4.3 औद्योगिक
- 4.4.4 मिश्रित
- 4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
- 4.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं
- 4.4.7 आमोद-प्रमोद
- 4.4.8 यातायात एवं परिवहन
- 4.5 मध्य क्षेत्र
- 4.5.1 मध्य क्षेत्र
- 4.6 अनौपचारिक सेक्टर
- 4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र
- 4.8 पुनर्विकास नीति
- 4.9 ग्राम आबादी विस्तार
- 4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान
- 4.11 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना
- अध्याय- 5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना
- 5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति
- 5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र
- 5.3 अंतर्नगरीय यातायात
- 5.3.1 रेल मार्ग
- 5.3.2 सड़क मार्ग
- 5.3.3 हवाई पट्टी
- 5.4 नगरीय यातायात
- 5.5 प्रस्तावित यातायात प्रणाली
- 5.5.1 मार्गों की श्रेणी
- 5.5.2 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई
- 5.6 यातायात अवसान केन्द्र (माल/यात्री)
- 5.7 पार्किंग प्रस्ताव
- 5.8 यातायात प्रबंधन योजना
- अध्याय- 6 विकास निगमन

- 6.1 प्रवृत्तशीलता
- 6.2 क्षेत्राधिकार
- 6.3 परिभाषाएँ
- 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र
- 6.4.1 आवासीय
- 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र
- 6.4.5 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र
- 6.4.6 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र
- 6.4.8 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक
- 6.5 अन्य नियमन
- 6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन
- 6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण
- 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा
- 6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
- 6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक
- 6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक
- 6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल
- 6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड
- 6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग
- 6.5.10 मैरिज गार्डन
- 6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल
- 6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस /गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड
- 6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड
- 6.5.14 मल्टीप्लेक्स
- 6.5.15 उद्यान
- 6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन
- 6.7 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर
- 6.8 अन्य सुविधाएँ
- 6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया
- 6.10 आवासीय भूखण्डों पर पूर्व से निर्मित अन्य उपयोगों के अधिभोग परिवर्तन हेतु प्रावधान

अध्याय- 7	विकास योजना क्रियान्वयन.....
7.1	विकास योजना का क्रियान्वयन.....
7.2	योजना क्रियान्वयन की नीति.....
7.3	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम.....
7.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना.....
7.4.1	नियंत्रित विकास.....
7.4.2	अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन.....
7.4.3	एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना.....
7.5	विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण.....
7.6	योजना एवं कार्यक्रम.....
7.7	संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व.....
7.8	प्रथम चरण कार्यक्रम.....
7.9	संसाधन गतिशीलता.....
7.10	योजना पर्यवेक्षण तंत्र.....
7.10.1	पर्यवेक्षण समिति का गठन.....
7.10.2	वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण.....
7.11	योजना की व्याख्या.....
7.11.1	योजना कालावधि.....
अनुसूची
परिशिष्ट-1
परिशिष्ट-2
परिशिष्ट- 3
परिशिष्ट- 4
परिशिष्ट- 5
परिशिष्ट- 6
परिशिष्ट-7
परिशिष्ट- 8

सारणी सूची

सारणी क्रमांक	विवरण
1	2
सारणी 1-सा-1	शहडोल शहर से अन्य नगरों की दूरी
सारणी 1-सा-2	शहडोल निवेश क्षेत्र
सारणी 2-सा-1	उपग्रह चित्रों के मानक
सारणी 2-सा-2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस
सारणी 2-सा-3	जियो स्पेशियल डाटा (मार्ग)
सारणी 2-सा-4	जियो स्पेशियल डाटा(बिल्डिंग फुटप्रिंट)
सारणी 2-सा-5	सीमाओं का वर्गीकरण
सारणी 2-सा-6	ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल
सारणी 2-सा-7	मृदा विश्लेषण
सारणी 2-सा-8	लिथोलॉजी
सारणी 2-सा-9	भू-जल संभावनाएँ
सारणी 2-सा-10	जलाशयों का वर्गीकरण
सारणी 2-सा-11	भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
सारणी 2-सा-12	जल स्रोत बफर क्षेत्रफल
सारणी 2-सा-13	भूमि अवक्रमण
सारणी 2-सा-14	मार्ग संरचना बफर
सारणी 2-सा-15	Weighted Index for Composite Land Suitability
सारणी 2-सा-16	Land Suitability Area
सारणी 3-सा-1	विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (सारणी अनुसार)
सारणी 3-सा-2	विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)
सारणी 3-सा-3	वाणिज्यिक कार्य केन्द्र क्रियान्वयन
सारणी 3-सा-4	औद्योगिक कार्य केन्द्र क्रियान्वयन
सारणी 3-सा-5	यातायात विकास
सारणी 3-सा-6	भूमि उपयोग उपांतरण
सारणी 3-सा-7	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति
सारणी 3-सा-8	राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात
सारणी 3-सा-9	वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण
सारणी 3-सा-10	वार्ड वार जनसंख्या घनत्व
सारणी 3-सा-11	वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात
सारणी 3-सा-12	वार्ड वार शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी क्रमांक	विवरण
1	2
सारणी 3-सा-13	वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात
सारणी 3-सा-14	वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
सारणी 3-सा-15	वार्ड वार साक्षरता प्रतिशत
सारणी 3-सा-16	कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत
सारणी 3-सा-17	शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या
सारणी 3-सा-18	शहडोल नगर पालिका परिषद क्षेत्र दशक वृद्धि दर
सारणी 3-सा-19	ग्रामीण क्षेत्र दशक वृद्धि दर
सारणी 3-सा-20	नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल
सारणी 3-सा-21	शहडोल नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जनसंख्या का आंकलन
सारणी 3-सा-22	ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन
सारणी 3-सा-23	शहडोल निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)
सारणी 3-सा-24	आवासीय इकाइयों की कमी वर्ष 2021
सारणी 3-सा-25	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता
सारणी 3-सा-26	जल आपूर्ति आंकलन
सारणी 3-सा-27	विद्युत खपत
सारणी 4-सा-1	वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण
सारणी 4-सा-2	शहडोल : जलाशयों का विकास
सारणी 4-सा-3	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग
सारणी 5-सा-1	प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई
सारणी 5-सा-2	प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई
सारणी 6-सा-1	भू-उपयोग परिक्षेत्र
सारणी 6-सा-2	आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
सारणी 6-सा-3	आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं फर्शी क्षेत्रानुपात
सारणी 6-सा-4	वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड
सारणी 6-सा-5	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक
सारणी 6-सा-6	सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन
सारणी 6-सा-7	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
सारणी 6-सा-8	उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियाँ
सारणी 7-सा-1	शहडोल: योजना क्रियान्वयन की लागत
सारणी 7-सा-2	प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक
सारणी 7-सा-3	शहडोल: प्रथम चरण लागत

मानचित्र सूची

क्रमांक	मा. क्र.	शीर्षक
1	2	3
1	1.1	Regional Setting
2	1.2	Location Map of Planning Area
3	1.3	Planning Area
4	2.1	Satellite Images
5	2.2	Building Footprint
6	2.3	Slope
7	2.4	Soil Texture
8	2.5	DEM
9	2.6	Contour
10	2.7	Lithology
11	2.8	Groundwater Prospects
12	2.9	M.P. Earthquakes Zones
13	2.10	Government Land
14	2.11	Land Value
15	2.12	Geomorphology
16	2.13	Waterbody Buffer
17	2.14	Land Degradation
18	2.15	Road Buffer
19	2.16	Land Suitability (Model-1)
20	2.17	Land Suitability (Model-2)
21	2.18	Land Suitability (Model-3)
22	3.1	Existing Landuse
23	3.2A	Wards (Old Ward)
24	3.2B	Wards (New Ward)
25	3.3A	Ward Wise Population Distribution (Old Ward)
26	3.3B	Ward Wise Population Distribution (New Ward)
27	3.4	Ward Wise Sex Ratio
28	3.5	Ward Wise Child Population (0-6)
29	3.6	Ward Wise Child Sex Ratio
30	3.7	Ward Wise SC/ST Population
31	3.8	Ward Wise Literacy
32	3.9	Ward Wise Work Participation
33	3.10	Urban Sprawl
34	3.11	Existing Community Toilet
35	3.12	Existing ATM
36	4.1	Proposed Landuse
37	4.2	Central Area
38	5.1	Existing Transport Network
39	5.2	Proposed Transport Network
40	7.1	First Phase Implementation

अध्याय— 1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

प्राचीनकाल से सोहागपुर, शहडोल नगर का अंग है। पूर्व में ग्राम सोहागपुर में 'शहडोलवा' नाम का एक अहीर रहता था इस कारण इस नगर का नाम शहडोल पड़ा। एक अन्य किवदंती के अनुसार पूर्व समय में यहाँ लगभग 1000 तालाब होने के कारण इसे 'सहस्रडोल' कहा जाता था, समय के साथ इसका नाम शहडोल में परिवर्तित हुआ। यह इलाका पहले रतनपुर के कलचुरियों के अधिकार में था, तथा बारहवीं शताब्दी तक काफी समृद्ध था। तेरहवीं शताब्दी में प्रथम बघेलाधिपति महाराजा व्याघ्रदेव के पुत्र महाराजा करनदेव का विवाह रतनपुर के कलचुरी राजा सोमदत्त की पुत्री पद्मकुवरी से हुआ था तभी उनको यह इलाका तथा बांधवगढ़ का दुर्ग दहेज में मिला था। नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित वर्तमान बायपास मार्ग पर महाभारतकालीन राजा विराट द्वारा बनवाया गया प्राचीन विराट मंदिर वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। कहा जाता है कि, पाण्डवों ने अपना गुप्त वास (अज्ञातवास) शहडोल में ही व्यतीत किया था।

1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

शहडोल, कटनी-बिलासपुर दक्षिण पूर्वी ब्राड गेज रेलवे लाईन पर स्थित स 'भागीय मुख्यालय है, यह नगर 23°18'8.063" उत्तरी अक्षांश तथा 81°22'10.779" पूर्वी देशांश पर समुद्र सतह से लगभग 467 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 एवं राजमार्ग क्रमांक-9 गुजरता है साथ ही नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 जो कि शहडोल नगर से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र राज्य तक जाती है। इस प्रकार शहडोल नगर रीवा, कटनी, बिलासपुर, भोपाल एवं जबलपुर इत्यादि नगरों से रेल एवं सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। पूर्व विंध्य प्रदेश की ग्रीष्म कालीन राजधानी तथा प्रदेश के प्रमुख पर्वतीय पर्यटक स्थल अमरकंटक से 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

शहडोल नगर रेल लाईन से देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका एक विशिष्ट स्थान है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सोहागपुर एरिया, रिलायंस कोल बेस्ड मथेन (सी.बी.एम.), ओरियंट पेपर मिल्स, आदि के संचालन से यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जिससे जनसंख्या का दबाव तीव्रगति से बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर उपलब्ध शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का उपक्षेत्रीय स्तर पर विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

शहडोल शहर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1-सा-1

क्र.	समीपस्थ नगर	सड़क मार्ग से दूरी (कि.मी.)
1.	2.	3.
1.	रीवा	170
2.	सतना	203
3.	सीधी	162
4.	उमरिया	70
5.	कटनी	140
6.	जबलपुर	176
7.	अनूपपुर	50
8.	डिण्डौरी	100

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

1.2.1 भौतिक स्वरूप


कटनी-बिलासपुर, दक्षिण-पूर्वी ब्राडगेज रेलवे लाइन पर स्थित शहडोल नगर, जिले का मुख्यालय है तथा प्रशासनिक रूप से शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत सोहागपुर तहसील में आता है।

यहाँ की सभी भूमि पहाड़ी एवं जंगली है। कृषि योग्य भूमि की यहाँ कमी है। यहाँ की मिट्टी कंकरीली एवं पथरीली है। यहाँ की भूमि खरीफ की फसल के लिये उपयोगी है। यहाँ का प्रमुख रूप से पाये जाना वाला वृक्ष साल है जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में 'सरई' कहा जाता है। इसके अलावा साज, तेन्दूल, बांस, खैर आदि वृक्षों की भी जंगल में अधिकता है। छोटे पौधों एवं वृक्षों में गुरसकरी, झरबेरी, गुर्ची, धवा, आबंला, सलई आदि वृक्षों की अधिकता है। किसी किसी जंगल में महुआ भी बहुत है। शहडोल का दक्षिणी हिस्सा साल वनों से अच्छादित है।




नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एवं राजमार्ग क्रमांक-9 गुजरते हैं। इस प्रकार नगर, रीवा, कटनी, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर, बिलासपुर इत्यादि नगरों से रेल एवं सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। नगर विस्तार हेतु मुड़ना नदी के अलावा कोई अन्य प्राकृतिक बाधा नहीं है।

1.2.2 प्राकृतिक जल निकास

नगरीय क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर एवं उत्तर-पूर्व की ओर है। नगर में प्राकृतिक जल निकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। नगर के जल का निकास मुख्य रूप से राड़को के किनारे व राड़को के ऊपर से प्राकृतिक ढलान के द्वारा स्थानीय नालों



1.2 Location Map



के माध्यम से प्रवाहित होकर होकर मुड़ना नदी एवं टांकी नाला में मिलता है। जो अन्ततः सोन नदी में समाहित हो जाती है। इस समूची तहसील का जल सोन और जोहिला नदियों में जाता है, जो कि आगे चलकर सोन नदी पर स्थित बाणसागर डेम पर एकत्रित होकर आगे बिहार राज्य की राजधानी पटना के समीप भारत की प्रमुख नदियों में से एक गंगा नदी में मिल जाती है।

बरसात के पानी के साथ-साथ अन्य मौसम में भी कच्ची-पक्की नालियों व सड़को का पानी सड़कों के किनारे से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाले मुड़ना नदी, टांकी नाले से मिलता है। इस नदी/नाले में घरेलू तथा अन्य परिसरों द्वारा निष्कासित पानी आ मिलने से कभी-कभी वर्षाकाल में बाढ़ से नगर के निचले क्षेत्रों की बस्तियां भी प्रभावित होती हैं। नगर में बरसात के पानी के निकास की कोई व्यवस्था न होने से तथा भूमिगत नालियां न होने से वर्षा का पानी तथा अन्य गंदा पानी खुली नालियों से बहने से अस्वास्थ्यकारक स्थिति बनी रहती है।

1.2.3 जलवायु

शहडोल नगर विन्ध्य पर्वत की श्रंखला की प्रमुख मैकल पर्वत श्रंखला पर स्थित सघन वनस्पति एवं स्थानीय पोखरों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र सामान्यतः सुखद जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सामान्यतः नगर का अधिकतम तापमान मई में 43 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान माह जनवरी में औसतन 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नगर में वर्षा प्रमुख रूप से जुलाई-अगस्त में होती है। जून व सितंबर माह में विरामी वर्षा होती है। यहां थोड़ी शीतकालीन वर्षा भी होती है। नगर में औसतन वर्षा लगभग 1131.40 मिलीमीटर होती है।

1.2.4 वायु दिशा

नगर में वर्षभर में सर्वाधिक अवधि में वायु प्रवाह की दिशा पश्चिम-उत्तर से दक्षिण-पूर्व की ओर रहती है।

1.2.5 भू-आकृति

शहडोल क्षेत्र की स्थलाकृति सामान्य रूप से मैकल पर्वत श्रंखला के उत्तरी ढलान के बाद से सोन नदी के दक्षिणी भाग तक का क्षेत्र शामिल है। पठारीय क्षेत्र की अधिकता के साथ वनप्रदेश एवं प्राकृतिक जलाशयों से परिपूर्ण है।

1.2.6 भू-गर्भीय संरचना एवं खनिज संपदा

शहडोल निवेश क्षेत्र में खनिज संसाधन जैसे कोल बेस्ड मेंथेन, बॉक्साइड, रेत, एवं आसपास के क्षेत्रों में कोयला आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह क्षेत्र सामान्यतः भू-गर्भीय हलचलों से प्रभावित नहीं है।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

शहडोल नगर की प्रथम विकास योजना-2011, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क.एफ-3-16-2001-32 दिनांक 5.12.2002 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 13.12.2002 से प्रभावशील की गई थी।

इसी क्रम में नगर के सुनियोजित विकास एवं भावी अधोसंरचना के विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2031 की प्रक्षेपित जनसंख्या 3 लाख जनसंख्या को आधार मानकर शहडोल विकास योजना 2031 म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-9-2014 -32 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10.04.2015 से प्रभावशील की गई थी।

“Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT) योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है। तत्कथित मानकों के अनुसार शहडोल नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर को संभागीय स्तर का प्रशासकीय केंद्र एवं नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.5 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य

नियोजन की अवधारणा में, समयानुसार बदलाव आया है एवं विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। शहडोल विकास योजना तैयार करते समय, अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव किये गये हैं। शहडोल विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों/लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है:-

1. भूमि का समुचित एवं सक्षम उपयोग
2. नगर के सघन आबादी वाले मध्यवर्ती क्षेत्र के दबाव को कम करने हेतु नगर के बाह्य क्षेत्रों में विकास हेतु प्रस्ताव
3. वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना।
4. नगर के भावी औद्योगिक विकास प्रदान करने हेतु कृषि आधारित उद्योगों हेतु प्रावधान।
5. प्राकृतिक भू-दृश्यीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही नदी एवं जलसयों के तटों पर सौन्दर्यीकरण।

6. पुराने ऐतिहासिक/धार्मिक मन्दिर एवं पुरातत्वीय महत्व की धरोहरों का संरक्षण।

1.5 निवेश क्षेत्र

नगर के भावी सुनियोजित एवं नियंत्रित विकास हेतु शहडोल निवेश क्षेत्र का गठन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा(1) के प्रावधानान्तर्गत राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1252 / एफ-1-41/33/74 भोपाल दिनांक 18.4.1974 द्वारा किया गया। उक्त निवेश क्षेत्र में 11 राजस्व ग्राम तथा नगर पालिका परिषद शहडोल का क्षेत्र शामिल है। उक्ति 11 राजस्व ग्रामों में से तीन ग्राम चंदनिया, बंधवा खुर्द तथा कल्याणपुर वर्तमान उमरिया जिले के अंतर्गत आते हैं, जबकि शेष आठ ग्राम पूर्ववत् शहडोल जिले में हैं।

शहडोल निवेश क्षेत्र

सारणी 1-सा-2

क्रमांक	नगर/ग्राम का नाम	क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011
1	2	4	5
(अ) नगर पालिका परिषद शहडोल क्षेत्र			
1.	शहडोल	238.50	86681
2.	मतनी	56.03	
3.	भुईबांध	205.91	
4.	बलपुरवा	151.69	
5.	सोहागपुर (आंशिक)	1021.38	
6.	सौखी (आंशिक)	157.91	
7.	नरसरहा (आंशिक)	126.78	
8.	बेलहा (आंशिक)	14.70	
योग: -		1972.90	
(ब) ग्रामीण क्षेत्र			
1.	जमुई	525.67	2765
2.	जमुआ	327.46	902
3.	कुदरी	305.11	1266
4.	कोटमा	865.30	3460
5.	बेलहा (आंशिक)	138.69	66
6.	देवगवॉ	349.16	761
7.	चंदनिया	396.61	1294
8.	बंधवाखुर्द	286.31	622


क्रमांक	नगर/ग्राम का नाम	क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011
1	2	4	5
9.	कल्याणपुर	367.11	1688
10.	गोरतरा	877.05	2333
11.	कोईलारी	125.17	669
12.	सोहागपुर (आंशिक)	21.51	-
13.	सौखी (आंशिक)	15.45	-
14.	नरसरहा (आंशिक)	26.76	-
योग: -		4672.36	15826
निवेश क्षेत्र (अ+ब)		6600.26	102507

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011 एवं जी.आई.एस. विश्लेषण

टीप: शहडोल निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना-2031 में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 6439.38 हेक्टेयर अंकित किया गया था। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 6600.27 हेक्टेयर होता है। यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 6600.27 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं। निवेश क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामों की आबादी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में शामिल होने से जनसंख्या अत्यंत निम्न अथवा शून्य है।

1.6 नगर पालिका क्षेत्र

राज्य शासन के स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 267/18-3/94 दिनांक 12.08.1994 द्वारा नगर पालिका परिषद शहडोल के 1234.23 हेक्टेयर क्षेत्र को 34 वार्डों में विभक्त किया गया। तदोपरान्त राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना जो म.प्र. राजपत्र में दिनांक 25 जुलाई 2003 को प्रकाशित हुई है, में अतिरिक्त चार 04 वार्डों को सम्मिलित किया गया। जिसके अनुसार शहडोल नगर पालिका को 34 वार्डों में विभाजित किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5/व. लि.-1/2016-3884 दिनांक 24.12.2016 के द्वारा 39 वार्डों में विस्तार किया जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-2 में प्रकाशन दिनांक 27.01.2017 में प्रकाशित की गई है। जिसका कुल क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार 1972.90 हेक्टेयर है। अधिसूचना अनुसार सौखी, नरसरहा, का गैर आबादी क्षेत्र व ग्राम सोहागपुर के टांकी नाले का क्षेत्र अपवर्जित करते हुए ग्राम बेलहा का सम्पूर्ण दक्षिणी आबादी क्षेत्र शामिल किया गया है।



अध्याय- 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सूदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

सम्पूर्ण पर्यावरण में भूमि भी एक घटक है एवं मानव जीवन यापन हेतु, मानव बस्तियाँ बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। नगर की बसाहट एवं उसका विस्तार होने से संलग्न भूमि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भूमि उपयोग/प्रयोजन परिवर्तन होता है। पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नियोजित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि, द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरीत नगरीय क्षेत्र का अव्यवस्थित फैलाव का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि का दबाव है। शहडोल नगर में वर्तमान परिपेक्ष्य में अधोसंरचना सुविधाओं की कमी हुई है। नगर की स्थलाकृति सामान्य रूप से सपाट है तथा नगर के पश्चिम में स्थित मुड़ना नदी को छोड़कर नगर विस्तार हेतु कोई अन्य प्राकृतिक बाधा नहीं है, दक्षिण की ओर स्थित रेल लाईन के कारण नगर का विकास कुछ सीमा तक रूका है।

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में शहडोल नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्यकतानुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है।

नगर का विकास, उसके भौतिक स्वरूप एवं मानवीय प्रयासों पर निर्धारित होता है। शहडोल नगर की वर्तमान आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नगर में स्थित मुड़ना नदी, टांकी नाला, पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ एवं सोहागपुर आरक्षित वन तथा वर्तमान मार्ग संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास योजना में विद्यमान पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण, भू-दृश्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास, यातायात स्वरूप का उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव भी विकास योजना में दिये गए हैं, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के साथ-साथ भावी पीढ़ी को भी स्वच्छ वातावरण तथा सामंजस्य स्थापित करने वाली अधोसंरचना उपलब्ध हो सके।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा।

इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इनके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों के अनुसार प्रयोजन व गतिविधियों को प्रस्तावित करने में, तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

2.1.1 अमृत योजना

“Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
- 3- Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना।

2.1.2 सुदूर संवेदन

इस अध्ययन तकनीक के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू.॥ (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग, थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग, अमृत योजना के मानकों अन्तर्गत आधार मानचित्र 1:4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी क्रमांक-2-सा-1 में दर्शाये गये हैं।

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2-सा-1

S. No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1.	Spatial Resolution	0.5 metres or better	
2.	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3.	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4.	Radiometry	10 bit or better	
5.	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6.	Monoscopic/ Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data View angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of upto 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height(B/H) ratio: 0.6
7.	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho - kit data with RPCs

स्रोत: एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक स्थितियों की जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने हेतु उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स (spatial layers) को क्लासेस एवं सब-क्लासेस (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है जो कि सारणी 2-सा-2 में दर्शाया गया है।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस


सारणी 2-सा-2

S. No.	Spatial Layers	Source for spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1.	Base layers	Very high resolution satellite data	3	16
	Road			
	Bridges			
	Water Bodies			
2.	Urban Land Use/ Land Cover	Very high resolution satellite data	22	48
3.	Building Footprints	Very high resolution satellite data	16	46
4.	Digital Elevation Model (DEM) Type: Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5.	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6.	Boundaries			
	1. Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	2. Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1

स्रोत: एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

शहडोल विकास योजना 2035 प्रस्ताव तैयार मुख्य उद्देश्य है- संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थायी एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे कि बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने में नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:-



● **धरातल विशेषताएँ :-**

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जलप्लावित क्षेत्र, कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

● **भूमि उपयोग वितरण :-**

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण, स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, आदि, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध है, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

● **जनसंख्या विशेषताएँ :-**

आयु समूह, लिंगानुपात, आर्वजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना।

● **आर्थिक गतिविधियाँ :-**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएं एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएं।

● **यातायात विशेषताएँ :-**

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, जल सेवा, रेल सेवा, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधाएँ एवं यातायात संरचना।

● **आवास विशेषताएँ :-**

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

● **सार्वजनिक सेवाएँ :-**

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ।

● **सार्वजनिक सुविधाएँ :-**

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद-प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र, धार्मिक/पूजा/अर्चना स्थल।

अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी, वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू II (World View II) उपग्रह चित्रों के आधार पर निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

2.2.1 उद्देश्य

• भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना:

वर्ल्ड व्यू II (World View II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी से, जो श्रेणी II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हों।

• बसाहट के विस्तार का मानचित्र:

विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर नगर का विकास क्रमशः किस विभिन्न समयावधि में हुआ है, उसका मानचित्र तैयार करना।

1. संपूर्ण शहडोल नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
2. नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
3. जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना, एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

• जनगणना के आँकड़े:


शहडोल निवेश क्षेत्र का गठन वर्ष 1974 में किया गया। अतः अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु जनगणना वर्ष 1971 से 2011 के आँकड़ों का विकास योजना में उपयोग किया गया है।

2.2.2 कार्यप्रणाली

शहडोल नगर की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली प्रस्तुत है। अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र से बिल्डिंग फुटप्रिंट तैयार कर स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित

विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली



2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनुसार शहर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किए गए। इन आँकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आँकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व इत्यादि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रिकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गए हैं जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मान वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2-सा-3 में दर्शाया गया है।

जियो स्पेशियल डाटा (मार्ग)

सारणी 2-सा-3

S. No.	Code	Class	Sub Class
1	2	3	4
1.	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-08		Service Road
	01-09		Major City Road
	01-10		Minor City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road
	01-16		Foot path
2.	03-01	Bridges	Culvert
	03-03		Bridge across river
	03-04		Over Bridge
	03-05		Under Pass
	03-08		Foot over bridge

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, शहडोल शहर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दी गई वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-4 में उल्लेखित है।

जियो स्पेशियल डाटा (बिल्डिंग फुटप्रिंट)

सारणी 2-सा-4

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
2	07-01	Commercial	Retail
	07-02		Wholesale
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-05		Shopping Centre / Mall
	07-06		Multiplex / Cinema
	07-07		Function Hall / Marriage Garden
	07-08		Warehouse
	07-09		Storage Godown
	07-11		Petrol Pump / LPG filling station
	07-12		Informal Shop
	07-13		Hostel
	07-14		Market (Daily & Weekly) / Mandi
	3		08-08
08-10		Cottage & Household	
08-11		Other Industries	
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
	09-02		Residential & Household Industry
	09-07		Commercial & Educational
	09-09		Residential & Commercial & Institutional
5	10-01	Educational	School
	10-02		College
	10-03		University
	10-05		Anganwari
	10-06		Training Institute
6	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-03		Diagnostic Centre
	11-04		Clinic/Dispensary

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
	11-05		Nursing Home
	11-06		Primary/Community Health Centre
7	12-01	Central Govt. Property	CG_Office
	12-02		CG_Quarter
8	13-01	State Govt. Property	SG_Office
	13-02		SG_Quarter
9	14-01	Railway	Railway Property
10	15-01	Public & Semi- public	Private Office
	15-02		Banks
	15-03		Credit Society
	15-05		Police Station
	15-07		Jail
	15-08		Crematorium Burial Groun /Grave Yard
	15-09		Guesthouse
	15-10		Community Hall
	15-11		Dharmashala
	15-13		Auditorium
	15-14		Convention Centre
	15-17		Art Gallery & Cultural Centre
	15-25		Public/Community Toilet
	15-26		Social Welfare Centre
15-29	Night Shelter		
15-31	ATM		
11	16-01	Religious	Temple
	16-02		Mosque
	16-03		Idgah
	16-04		Church
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
12	17-02	Recreational	Park
	17-05		Sports Centre
	17-06		Gymnasium
	17-08		Stadium
	17-09		Planetarium
	17-11		Open Air Theatre
13	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-03-02		Sewage Pumping Station
	18-04-02		Electric Sub-Station
14	19-01	Solid Waste Management	Land Fill Site
15	20-01	Communication	Telephone Exchange
	20-02		Post/Telegraph Office
	20-03		Radio/TV Station
	20-04		Satellite & Telecommunication Centre

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
16	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
	24-02		Railway Station
17	26-02	Rural	House
18	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-11		Poultry farm
	33-13		Slaughter House

स्त्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.3.1.3 ग्राम/वॉर्ड सीमा

भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। नगर पालिका शहडोल से प्राप्त वॉर्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिका सीमा का वॉर्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:30000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वॉर्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजिटलाइज कर शहडोल निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-5 में दर्शायी गई है।

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
3.	39-01	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	39-03		Ward Boundary

2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर, एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

$$\text{ढलान का प्रतिशत} = (\text{ऊँचाई में अंतर} / \text{दूरी में अंतर}) \times 100$$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल सारणी 2-सा-6 में दिया गया है।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-6


क्र.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
1.	0-1	2512.92	38.07
2.	1-3	2833.89	42.94
3.	3-5	876.98	13.29
4.	5-10	267.19	4.05
5.	10-15	89.8	1.36
6.	>15	19.48	0.30
योग		6600.26	100


स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.5 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land use Survey of India (SLUSI), जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाइल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.4 में दर्शाया गया है।

शहडोल निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्रोत एन. बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी.) द्वारा अध्ययन कर प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया। इससे मिट्टी का संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया। मृदा विश्लेषण निम्नानुसार सारणी 2-सा-7 में दर्शित है।





मृदा विश्लेषण

सारणी 2-सा-7

क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हे० म०)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Builtup	1255.34	19.02
2	Clayey	620.21	9.40
3	Fine	2542.15	38.52
4	FineLoamy	1387.16	21.02
5	Laomy	478.36	7.25
6	Waterbody	317.04	4.80
7	Grand Total	6600.26	100

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.6 डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM)

डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डी.ई.एम.) एक जी.आई.एस. आधारित थ्री-डी मॉडल है, जिससे धरातल की ऊंचाई-निचाई/भू आकृति को प्रदर्शित किया जाता है। इस मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र में स्थित भूमियों का नगर नियोजन के लिए निर्धारण किया जाता है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.5 में दर्शाया गया है।

2.3.1.7 कंटूर ;बदजवनतद्ध

कंटूर मानचित्र के माध्यम से निवेश क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि की समुद्र सतह से ऊंचाई की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसे मानचित्र क्रमांक 2.6 में दर्शाया गया है।

2.3.1.8 लिथोलॉजी

शहडोल निवेश क्षेत्र में चट्टानों की संरचना की जानकारी का अध्ययन कर दो भागों में विभाजित कर चट्टानों की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.7 में दर्शाया गया है। चट्टानों की संरचना निम्नानुसार सारणी 2-सा-8 में दर्शित है।

लिथोलॉजी

सारणी 2-सा-8

क्र.	चट्टानों की संरचना	क्षेत्रफल (हे० म०)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	Basalt flows	589.56	8.93
2.	Sandstone, Siltstone, Shale with Coal seams	3324.56	50.37
3.	Shale, Sandstone, Clay, Conglomerate	2686.14	40.70
TOTAL		6600.26	100

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.9 भू-जल संभावनाएं

लिस-IV (LISS-IV), सैट-2 (SAT-2) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का लिथोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) एवं जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) से समाकलन कर भू-जल संभावना का मानचित्र तैयार किया गया है है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.8 में दर्शाया गया है। भू-जल संभावनाएं निम्नानुसार सारणी 2-सा-9 में दर्शित है।

भू-जल संभावनाएं

सारणी 2-सा-9

S. No.	GROUNDWATER PROSPECTS CLASS	AREA (ha)	Percentage (%)
1	2	3	4
1.	Good to Moderate	6103.06	92.47
2.	Moderate	497.2	7.53
योग		6600.26	100

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.10 जलाशय

वर्ल्डव्यू-II (World View) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर शहडोल शहर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-10 में उल्लेखित है।


जलाशयों का वर्गीकरण


सारणी 2-सा-10


S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds
	05-08		Island (River/ Lake)
	05-09		Reservoir


2.3.1.11 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र


भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार











पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.9 में दर्शाया गया है।

2.3.1.12 शासकीय भूमि

शहडोल निवेश क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमियों की जानकारी मानचित्र क्रमांक 2.10 में दर्शाई गई है।

2.3.1.13 भूमि मूल्य

मध्य-प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से कुल वॉर्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई, एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.11 में दर्शाया गया है। शहडोल निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका शहडोल में 39 वॉर्ड सम्मिलित हैं।

2.3.1.14 भू-आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

शहडोल निवेश क्षेत्र को भू आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन तथा शेष भाग पेडिमेंट व जलाशय में विभाजित किया गया है। यह जानकारी सारणी 2-सा-11 में दर्शायी गयी है।

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-11

क्र.	जियोमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	पेडिमेंट (Pediment)	369.33	5.60
2.	पेडीप्लेन (Pediplain)	6093.62	92.32
3.	जलाशय (Waterbodies)	137.31	2.08
योग		6600.26	100

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.15 जल स्रोत बफर

शहडोल निवेश क्षेत्र में जलाशय के रूप में मुख्यतः तालाब एवं नाला सम्मिलित किये गये हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1205.69 हेक्टेयर है। जल स्रोत बफर की जानकारी सारणी 2-सा-12 में दर्शायी गई है।

जल स्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-12

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	15	295.22	24.49
2.	30	299.29	24.82
3.	45	302.97	25.13
4.	60	308.21	25.56
योग		1205.69	18.27
कुल निवेश क्षेत्र		6600.26	

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीप:- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है।

2.3.1.16 भूमि अवक्रमण ;संदक कमहतंकंजपवदद

शहडोल निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2-सा-13 में दर्शायी गई है।

भूमि अवक्रमण


सारणी 2-सा-13


क्र.	भूमि अवक्रमण श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	(Water erosion - Sheet - Moderate)	404.90
2.	(Water erosion - Sheet - Severe)	114.71
योग		519.61


स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण


2.3.1.17 मार्ग संरचना बफर


मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर स्थित है जो शहर को कटनी, उमरिया एवं अनूपपुर से जोड़ता है। राज्यमार्ग कमांक 9 (मानिकपुर यूपी सीमा से पडरिया छ.ग.) भी शहडोल नगर से होकर गुजरता है जो कि शहर को रीवा, सतना से जोड़ता है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 543 शहडोल नगर से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र में ब्रह्मपुरी को जोड़ता है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु इन मार्गों को सम्मिलित किया गया है, एवं बफर जोन मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गए हैं। मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी सारणी 2-सा-14 में दर्शायी गयी है।














मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-14

क्र.	मार्ग बफर (मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	100	516.08	31.44
2.	200	579.44	35.30
3.	300	545.87	33.26
कुल		1641.39	100

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है
2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया, जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

इस अध्ययन में बहुप्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ। शहडोल नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है, एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा, विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना चाहिए। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. भू-जल संभावनायें
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2-सा-15 में दिया गया है।

Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2-सा-15

[Model-1]

Equal Weightage to All Layers				
S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	LANDUSE	14	Agriculture	8
2			Vacant Land	9
3			Wasteland	7
1	GEOMORPHOLOGY	14	Pediplain	9
2			Pediment	8
1	GROUND WATER PROSPECTS	10	Good to Moderate	8
2			Moderate	7
1	SOIL TEXTURE	14	Fine	5
2			Fine Loamy	7
3			Loamy	9
4			Clayey	6
1	ROAD BUFFER	14	100 m	9
2			200 m	8
3			300m	7
4			>300 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	10	15 m	2
2			30m	3
3			45m	6
4			60 m	8
5			>60 m	9
1	SLOPE	10	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	6
4			5-10 %	5
5			10-15 %	4
1	LAND VALUE	14	4500-5300	9
2			5301-11300	8
3			11301-13200	6
4			13201-15350	4

[Model-2]

Landuse, Geomorphology and Waterbody Buffer given more Weightage				
S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	LANDUSE	15	Agriculture	8
2			Vacant Land	9
3			Wasteland	7
1	GEOMORPHOLOGY	15	Pediplain	9
2			Pediment	8
1	GROUND WATER PROSPECTS	10	Good to Moderate	8
2			Moderate	7
1	SOIL TEXTURE	15	Fine	5
2			Fine Loamy	7
3			Loamy	9
4			Clayey	6
1	ROAD BUFFER	10	100 m	9
2			200 m	8
3			300m	7
4			>300 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	15	15 m	2
2			30m	3
3			45m	6
4			60 m	8
5			>60 m	9
1	SLOPE	10	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	6
4			5-10 %	5
5			10-15 %	4
1	LAND VALUE	10	4500-5300	9
2			5301-11300	8
3			11301-13200	6
4			13201-15350	4

[Model-3]

Landuse, Slope, Transport Buffer and Waterbody Buffer given more Weightage				
S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	LANDUSE	16	Agriculture	8
2			Vacant Land	9
3			Wasteland	7
1	GEOMORPHOLOGY	10	Pediplain	9
2			Pediment	8
1	GROUND WATER PROSPECTS	10	Good to Moderate	8
2			Moderate	7
1	SOIL TEXTURE	12	Fine	5
2			Fine Loamy	7
3			Loamy	9
4			Clayey	6
1	ROAD BUFFER	16	100 m	9
2			200 m	8
3			300m	7
4			>300 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	12	15 m	2
2			30m	3
3			45m	6
4			60 m	8
5			>60 m	9
1	SLOPE	14	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	6
4			5-10 %	5
5			10-15 %	4
1	LAND VALUE	10	4500-5300	9
2			5301-11300	8
3			11301-13200	6
4			13201-15350	4

स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिबर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी

की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डिविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है। अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 4 श्रेणियों में विभाजित है।

Land Suitability Area


सारणी 2-सा-16


[Model-1]

S.no.	Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	4
1.	Highly Suitable	1459.32	22.11
2.	Moderately Suitable	2315.53	35.08
4	Less Suitable	32.52	0.49
5	Not Suitable	2792.89	42.31
Grand Total		6600.26	100

[Model-2]

S.no.	Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	4
1.	Highly Suitable	2303.97	34.91
2.	Moderately Suitable	1430.15	21.67
3.	Less Suitable	73.25	1.11
4	Not Suitable	2792.902	42.31
Grand Total		6600.26	100





[Model-3]

S.no.	Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	4
1.	Highly Suitable	990.48	15.01
2.	Moderately Suitable	2672.23	40.49
3.	Less Suitable	144.66	2.19
4.	Not Suitable	2792.9	42.31
Grand Total		6600.26	100

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें सारणी 2-सा-15 में दर्शाया गया है। शहडोल निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-2] में अधिकतम एवं मध्यम उपयुक्त भूमि क्रमशः 2303.97 हेक्टेयर, 1430.15 हेक्टेयर (कुल 56.58 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model-2] का चयन अंतिम रूप से शहडोल विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया। यह देखा गया है कि उपयुक्त क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र के संस्पर्शी क्षेत्र एवं वर्तमान मार्ग से संलग्न क्षेत्र में अधिकतम उपयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त हुई है।

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर शहडोल निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

अध्याय- 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है, तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी। विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवासहीन परिवारों की स्थिति का भी आंकलन आवश्यक है वर्तमान आवश्यकताओं, नागरिकों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए विकास योजना पुनर्विलोकन अत्यावश्यक है ताकी पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके; जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके। प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार हैं-

- मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित न होना।
- विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना। संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध ना होना।
- निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास ना होना।
- योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास ना होना।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है।

3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

शहडोल विकास योजना 2031 में नगर की जनसंख्या 3.00 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत 2692.64 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2022 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण


के अनुसार 1469.65 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन को सारणी 3-सा-1 में दर्शाया गया है।

**विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन
(विकास योजना 2031 सारणी 2-सा-4 अनुसार)**

सारणी 3-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)		वर्तमान विकसित क्षेत्र (2022) (हेक्टेयर में)		उच्चावचन / निम्नावन (+)/(-)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	1906.67	6.36	721.54	4.81	1185.13	37.84
2.	वाणिज्यिक	166.79	0.56	74.11	0.49	92.68	44.43
3.	औद्योगिक	53.00	0.18	12.57	0.08	40.43	23.72
4.	मिश्रित			21.73		21.73	
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/ सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें	251.81	0.84	176.84	1.18	64.90	74.23
				10.07	0.07		
6.	आमोद-प्रमोद	17.00	0.06	13.60	0.09	3.40	80.00
7.	यातायात एवं परिवहन	297.37	0.99	439.19	2.93	-141.82	147.69
योग		2692.64	8.98	1469.65	9.80	1222.99	54.58

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण/विश्लेषण



विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)		वर्तमान विकसित क्षेत्र (2023) (हेक्टेयर में)		उच्चावचन / निम्नावन (+)/(-)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	2571.56	8.57	721.54	4.81	1850.02	28.06
2.	वाणिज्यिक	236.74	0.79	74.11	0.49	162.63	31.30
3.	औद्योगिक	49.84	0.17	12.57	0.08	37.27	25.22
4.	मिश्रित	-	-	21.73	0.14	21.73	-
5.	सार्वजनिक एवं-अर्ध सार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें	246.85	0.82	176.84	1.18	59.94	75.72
				10.07	0.07		
6.	आमोद-प्रमोद	248.15	0.83	13.60	0.09	234.55	5.48
7.	यातायात एवं परिवहन	524.10	1.75	439.19	2.93	84.91	83.80
योग		3877.24	12.92	1469.65	9.80	2407.59	37.90

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण / विश्लेषण

टीप:- शहडोल विकास योजना 2031 के मूल्यांकन के लिए विकास योजना 2031 (सारणी 2-सा-4) एवं विकास योजना 2031 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है। इस कारण से विकास योजना 2031 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 37.90 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किए जा चुके हैं। यातायात एवं परिवहन व सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें भूमि उपयोगों के अलावा शेष भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1.02 लाख है। निवेश क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या (वर्ष 2022) 1.50 लाख के मान से विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 9.80 हेक्टेयर है। विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है:-

3.2.1 आवासीय

विकास योजना 2031 में आवासीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय विकास हेतु 2571.56 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसमें से 721.54 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है, जिसका क्रियान्वयन प्रतिशत 28.06 है।

3.2.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2031 में वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत 236.74 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें से 74.11 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है, जिसका क्रियान्वयन प्रतिशत 31.30 है।

वाणिज्यिक कार्य केन्द्र क्रियान्वयन

सारणी 3-सा-3

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2031 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022
1	2	3	4	5
1	थोक एवं विशिष्ट बाजार	ग्राम जमुआ में प्रस्तावित बायपास मार्ग एवं बुढार तिराहे पर	19.30	क्रियान्वित नहीं
2	माल गोदाम एवं शीत गृह	सिंहपुर मार्ग पर, भारतीय खाद्य निगम एवं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से सिंहपुर मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाना है।	3.75	वर्तमान निर्मित क्षेत्र यथावत शेष क्रियान्वित नहीं
3	कृषि उपज मंडी	ग्राम सोहागपुर में मुडना नदी के किनारे से लेकर रीवा रोड तक	37.00	क्रियान्वित नहीं
4	पशु एवं घास एवं फल मंडी	गंज क्षेत्र से फारेस्ट डिपो में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित	2.00	क्रियान्वित नहीं
5	इमारती लकड़ी एवं भवन निर्माण सामग्री	ग्राम चंदनिया में उमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रस्तावित	2.00	क्रियान्वित नहीं
6	यातायात नगर एवं अग्रेषण	ग्राम जमुई, जमुआ, एवं बुढार तिराहे पर	30.00	क्रियान्वित नहीं

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2031 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022
1	2	3	4	5
	अभिकरण			
7	तेल एवं कोयला भंडार	सिंहपुर मार्ग पर	2.00	क्रियान्वित नहीं
8	कबाडी बाजार	ग्राम जमुआ से बुढार मार्ग पर	22.00	क्रियान्वित नहीं

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के विकास हेतु स्थानीय संस्था द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई। अतः पुनर्नियोजन कर शहडोल नगर के मान से पृथक से वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा, ताकि नगर आवश्यकता अनुसार वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का विकास किया जा सके।

3.2.3 औद्योगिक

विकास योजना 2031 में इस उपयोग के अन्तर्गत 49.84 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 12.57 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है जिसका क्रियान्वयन प्रतिशत 25.22 है।

औद्योगिक कार्य केन्द्र क्रियान्वयन

सारणी 3-सा-4

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2031 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022
1	2	3	4	5
1	सामान्य उद्योग	1 ग्राम कोटमा में बायपास मार्ग पर	12.00	अविकसित
2	सामान्य उद्योग	ग्राम जमुआ में मुख्य मार्ग पर	11.50	अविकसित
3	सामान्य उद्योग	ग्राम गोरतरा में	8.00	अविकसित

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्थानीय संस्था एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयों के निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की गई। अतः पुनर्नियोजन कर निवेश क्षेत्र में पृथक से औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित, किया जाना उचित होगा।

3.2.4 मिश्रित

विकास योजना 2031 में मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी, परन्तु 2022 की स्थिति में 21.73 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग में विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि नगर के विकसित क्षेत्र तथा चारों ओर मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्ताव एवं मापदण्ड आवश्यक हैं।

3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें

विकास योजना 2031 में सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें उपयोग के अंतर्गत 246.85 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 176.84 हेक्टेयर भूमि पर इस उपयोग के अन्तर्गत विकास हुआ है, जो कि 75.72 प्रतिशत है। मुख्यतः ग्राम जमुआ, जमुई, गोरतरा, चंदनिया, में सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्ताव दिये गये थे, जिसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। जिससे स्पष्ट होता है कि विकास योजना 2021 में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई। अतः नगर आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग का पुनर्निर्धारण किया जाना उचित होगा।

3.2.6 आमोद-प्रमोद

नगरीय सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये विकास योजना 2031 में 248.15 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत उद्यान नगर वानिकी तथा जलाशयों के किनारे वृक्षारोपण एवं सौन्दर्यीकरण आदि के विकास हेतु स्थल निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत कुल 13.60 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 5.48 प्रतिशत है। निम्न सारणी में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है।

3.2.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2031 में यातायात एवं परिवहन हेतु 439.19 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 741.45 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 83.80 प्रतिशत है।

यातायात विकास

सारणी 3-सा-5

क्र.	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)/स्थल	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022
1	2	3	4
1.	बायपास मार्ग	60.00	क्रियान्वित
2.	मुख्य मार्ग	30.00	क्रियान्वित नहीं
3	खंडस्तरीय मार्ग	24	क्रियान्वित नहीं
4	उप-खंडस्तरीय मार्ग	18	क्रियान्वित नहीं

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.2.8 नगरीय परिभ्रमण संरचना

मार्गों के परिभ्रमण संरचना को हमेशा नगर नियोजन का आधार माना जाता रहा है। प्रमुख मार्ग एवं आन्तरिक मार्ग, नगरीय यातायात को सुचारु बनाते हैं तथा जल आपूर्ति, विद्युत, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी भौतिक सुविधाएं पहुँचाने में सहायक होते हैं। नगर के भीतर परिभ्रमण मार्ग मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तर के होते हैं। गली मार्ग भी इन मार्गों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अनियोजित विकास के कारण नगर के भीतर की गलियाँ बहुत संकरी होती हैं जिसमें गाड़ियों को चला पाना मुश्किल होता है। कुछ स्थानों पर तो गलियाँ इतनी संकरी हैं कि दुपहिया या तीन पहिया वाहनों को लेकर जाना भी कठिन होता है। इसके अतिरिक्त अविकसित चौराहे, वाहन विराम स्थल (पार्किंग), एक-दूसरे से नहीं जुड़े होने के कारण नगर में सुचारु परिभ्रमण में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये वाहनों के कुशल संचालन के लिये मार्ग परिभ्रमण संरचना की योजना बनायी जानी चाहिये।

3.3 अधिनियम की धारा 23-क (1) अंतर्गत उपांतरण

शहडोल विकास योजना 2031 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा 23(क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपांतरित किये हैं, जिनका समावेश सीधी विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-6 में दर्शाया गया है।

भूमि उपयोग उपान्तरण

सारणी 3-सा-6

क्र.	ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल (हे. में)	विकास योजना में भूमि उपयोग	उपांतरित प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4	5	6
1	कोनी (सोहागपुर)	219, 234 / 2, 235 / 2, 236	0.065 0.081 0.002 0.102	कृषि	आवासीय (अटल आश्रय योजना बहुईकाई हेतु) आवास
योग:-			0.450	-	-
2	गोरतरा	41 49	1.845 0.069	वाणिज्यिक, प्रस्तावित आवासीय एवं वर्तमान आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग वाणिज्यिक, वर्तमान आवासीय तथा 12.00 मीटर एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग	मिश्रित एवं 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग मिश्रित एवं 12.00 मीटर तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
योग:-			1.914	-	-
3	शहडोल	141 142	1.674 में से 0.862	सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक, आवासीय, वाणिज्यिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुर्नघनत्वीकरण योजना)
योग:-			0.862	-	-
कुल योग:-			3.226	-	-

स्रोत:-1.म0प्र0 राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 6486 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 में प्रकाशित।

2. म0प्र0 राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 5132 दिनांक 26 मार्च 2021 में प्रकाशित।

3. म0प्र0 राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 4067 दिनांक 30 अक्टूबर 2020 में प्रकाशित।

नोट:- शहडोल विकास योजना 2021 में उपांतरित समस्त उपयोग विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होंगे एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे।

3.4 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

शहडोल विकास योजना-2031 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसके क्रियान्वयन की स्थिति सारणी 3-सा-7 में दर्शायी गयी है।

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 3-सा-7

क्र.	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि उपयोग	क्रियान्वयन स्थिति-2022
	2	3	4	5	6
1.	आरामशीन-1	सराफ अस्पताल के सामने	ग्राम जमुई में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2.5 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
2.	आरामशीन-2	नया कलेक्ट्रेट	ग्राम चंदिया में उमरिया मार्ग पर 2.00 हेक्टेयर प्रस्तावित	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
3.	लकडी बाजार	गंज क्षेत्र	ग्राम चंदनिया में उमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग -78 प्रस्तावित बायपास	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
4.	कृषि उपज मंडी	गंज क्षेत्र	सोहागपुर में मुडना नदी के पास	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
5.	पशु बाजार/घास बाजार	गंज क्षेत्र	फोरेस्ट डिपो के पास	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
6.	आबकारी वेयर हाउस	स्टेशन मार्ग	सिंहपुर मार्ग पर	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
7.	अग्रेषण अभिकरण	बुद्धार मार्ग	प्रस्तावित बायपास	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
8.	पुराने बस स्टैंड की दुकानें	पुराना बस स्टैंड परिसर	प्रस्तावित बायपास मार्ग संगम के पास	वाणिज्यिक	क्रियान्वित नहीं
9.	गैस एजेन्सी	सरस्वती स्कूल के पास	प्रस्तावित उद्योग क्षेत्र	आवासीय	क्रियान्वित नहीं

स्रोत: नगर तथा ग्राम निवेश।

3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण

शहडोल नगर मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय एवं जिला मुख्यालय होने से शहडोल के निकटस्थ छः अन्य जिला मुख्यालयों एवं प्रदेश की जनसंख्या का विवरण नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। इसका विवरण सारणी 3-सा-8 में दर्शाया गया है।

राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3-सा-8

क्र.	राज्य/जिला	कुल जनसंख्या-2011	पुरुष	महिला	लिंगानुपात
1	2	3	4	5	6
1.	मध्यप्रदेश (राज्य)	72626809	37612306	35014503	931
2.	रीवा	2365106	1225100	1140006	931
3.	सतना	2228935	1157495	1071440	926
4.	सिंगरौली	1178273	613637	564636	921
5.	सीधी	1127033	575912	551121	957
6.	शहडोल	1066063	540021	526042	975
7.	अनूपपुर	749237	379114	370123	977
8.	उमरिया	644758	330674	314084	950

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि, मध्य-प्रदेश राज्य के महिला एवं पुरुष लिंग-अनुपात 1000 से कम है एवं उपरोक्त जिलों में सबसे कम, सिंगरौली एवं सबसे अधिक अनूपपुर जिले में है।

शहडोल जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार **1066063** थी। शहडोल नगर की वॉर्ड वार कुल जनसंख्या, शिशुओं (0-6 वर्ष के बालक-बालिका) की जनसंख्या, अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या एवं साक्षरता के आँकड़े सारणी 3-सा-9 में दिए गए हैं।

वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण


सारणी 3-सा-9


Ward	Population			Child Population(0-6)			SC Population			ST Population			Literates		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2783	1489	1294	289	158	131	3	2	1	263	132	131	2187	1261	926
2	2040	1038	1002	280	141	139	297	148	149	503	243	260	1377	782	595
3	2551	1301	1250	313	163	150	57	24	33	191	87	104	2034	1077	957
4	2397	1267	1130	273	143	130	34	20	14	46	29	17	1865	1052	813
5	4444	2079	2365	395	221	174	286	152	134	831	274	557	3599	1730	1869
6	5211	2689	2522	550	305	245	115	66	49	488	236	252	4239	2243	1996
7	2501	1296	1205	235	122	113	96	42	54	203	89	114	2106	1125	981
8	1819	948	871	185	95	90	22	12	10	11	6	5	1483	807	676
9	1735	796	939	114	51	63	74	40	34	433	164	269	1553	732	821
10	2549	1482	1067	184	81	103	117	80	37	257	185	72	2007	1227	780
11	4244	2188	2056	459	232	227	276	131	145	254	124	130	3426	1851	1575
12	5404	2879	2525	492	262	230	268	159	109	543	291	252	4507	2517	1990
13	1398	720	678	148	73	75	16	8	8	62	33	29	1123	609	514
14	1527	773	754	160	77	83	38	17	21	54	28	26	1193	646	547
15	1808	965	843	172	102	70	125	64	61	81	46	35	1493	824	669
16	1196	599	597	109	58	51	9	4	5	23	14	9	1012	525	487
17	2617	1357	1260	289	159	130	1119	592	527	80	42	38	1895	1049	846
18	2971	1547	1424	346	177	169	421	212	209	217	111	106	2367	1283	1084
19	1215	623	592	122	60	62	263	140	123	11	6	5	931	484	447


Ward	Population			Child Population (0-6)			SC Population			ST Population			Literates		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	1536	807	729	144	84	60	91	49	42	22	8	14	1299	701	598
21	3424	1784	1640	341	176	165	259	130	129	181	89	92	2698	1488	1210
22	3536	1805	1731	406	232	174	191	100	91	371	194	177	2507	1384	1123
23	2900	1488	1412	347	173	174	192	91	101	170	82	88	2196	1214	982
24	1985	1010	975	200	100	100	14	9	5	87	45	42	1647	878	769
25	1542	792	750	165	90	75	127	67	60	14	7	7	1297	679	618
26	1230	634	596	121	56	65	117	60	57	24	14	10	1028	550	478
27	2508	1283	1225	248	132	116	190	103	87	209	100	109	1898	1033	865
28	2134	1074	1060	209	102	107	282	137	145	173	83	90	1649	893	756
29	2444	1204	1240	311	159	152	239	114	125	153	74	79	1816	960	856
30	1813	915	898	180	86	94	38	18	20	239	111	128	1390	775	615
31	3025	1572	1453	420	222	198	95	58	37	1232	633	599	1889	1074	815
32	5385	2797	2588	595	307	288	570	300	270	269	137	132	4398	2376	2022
33	1675	853	822	169	96	73	426	222	204	177	79	98	1387	733	654
34	1134	583	551	122	62	60	148	70	78	76	38	38	933	506	427
	86681	44637	42044	9093	4757	4336	6615	3441	3174	7948	3834	4114	68429	37068	31361

स्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011

टीप:- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5/व.लि.-1/2016-3884 दिनांक 24.12.2016 के द्वारा नगर पालिका परिषद शहडोल को 39 वार्डों में विभाजित किया गया है। परन्तु भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार केवल 34 वार्डों के सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़े उपलब्ध होने से 34 वार्डों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।







Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

3.5.2 जनसंख्या घनत्व

शहडोल निवेश क्षेत्र में सकल जनसंख्या घनत्व मुख्यतः न्यूनतम ढलान युक्त घाटियों एवं समतल क्षेत्र के कारण आवासीय घनत्व मध्यम है। शहर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3-सा-10 में दिया गया है।

वार्डवार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3-सा-10

क्र.	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या वर्ष 2011	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	4	5	6
1.	1	बिरसामुंडा वार्ड	352.87	3025	9
2.	2	राजेन्द्र वार्ड	60.73	2040	34
3.	3	शहंशाह वार्ड	75.68	2783	37
4.	4	विराट वार्ड	40.05	2551	64
5.	5	पद्मधर वार्ड	39.10	2397	61
6.	6	पांडवनगर वार्ड	87.84	2290	26
7.	7	कुशाभाउ ठाकरे वार्ड	52.48	2154	41
8.	8	इकबाल वार्ड	51.18	2603	51
9.	9	सरस्वती वार्ड	23.27	2608	112
10.	10	गाँधी वार्ड	37.13	2501	67
11.	11	शंभूनाथ वार्ड	12.64	1819	144
12.	12	टैगोर वार्ड	20.11	1735	86
13.	13	भगत सिंह वार्ड	21.01	2549	121
14.	14	हर्ष वार्ड	42.11	2136	51
15.	15	चन्द्रशेखर वार्ड	39.15	2108	54
16.	16	सरदार पटेल वार्ड	109.17	3075	28
17.	17	सद्गुरु वार्ड	105.26	2565	24
18.	18	इन्द्रा वार्ड	20.20	1398	69
19.	19	हनुमान वार्ड	12.64	1527	121
20.	20	जवाहर वार्ड	11.21	1808	161
21.	21	सुभाष वार्ड	7.30	1196	164
22.	22	अंबेडकर वार्ड	18.09	2617	145
23.	23	छत्रसाल वार्ड	55.57	2971	53
24.	24	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड	49.97	2819	56
25.	25	पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	50.48	2330	46

क्र.	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या वर्ष 2011	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	4	5	2
26.	26	शास्त्री वार्ड	16.66	1215	73
27.	27	अशोक वार्ड	6.31	1536	243
28.	28	गणेश वार्ड	84.70	3424	40
29.	29	शिवाजी वार्ड	170.96	3536	21
30.	30	आदर्श वार्ड	48.19	2900	60
31.	31	विवेकानंद वार्ड	30.11	1985	66
32.	32	महावीर वार्ड	7.94	1542	194
33.	33	भुईबांध वार्ड	11.56	1675	145
34.	34	डॉ. हेडगेवार वार्ड	28.90	1134	39
35.	35	तिलक वार्ड	6.12	1230	201
36.	36	कबीर वार्ड	19.37	2508	129
37.	37	शंकर वार्ड	42.01	2134	51
38.	38	जफर वार्ड	51.40	2444	48
39.	39	सर्वोदय वार्ड	102.38	1813	18
योग:-			1972.90	86681	44

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिका शहडोल (म.प्र.)


3.5.3 जनसंख्या लिंगानुपात


शहडोल नगर पालिका का औसत लिंगानुपात 954 है। वार्ड क्रमांक 9 का लिंगानुपात सबसे अधिक लगभग 1179 एवं सबसे कम लिंगानुपात 719 वाला वार्ड क्रमांक 10 है। वार्डवार लिंगानुपात का विवरण सारणी 3-सा-11 में दिया गया है।


वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3-सा-11

क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरुष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	<800	10	1
2.	800-900	1, 15, 12, 4	4
3.	900-1000	20, 8, 21, 18, 31, 32, 17, 7, 6, 11, 26, 13, 34, 25, 23, 19, 27, 22, 3, 33, 2, 24, 14, 30,	26







क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरुष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
		28, 16	
4.	1000-1100	29	1
5	>1100	9, 5	2
योग			34

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

3.5.4 शिशु जनसंख्या

शहडोल में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक 20 में सबसे अधिक एवं वार्ड क्रमांक 31 में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम प्राप्त हुआ है। अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या के प्रतिशत का विवरण सारणी 3-सा-12 में दर्शाया गया है।

वार्डवार शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3-सा-12

क्र.	शिशु जनसंख्या (0-6) प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1	>20	20	1
2	15-20	8, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27	8
3	10-15	4, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 23	9
4	5-10	2, 3, 9, 11, 12, 28, 29, 32, 33, 34	10
5	<5	1, 5, 21, 22, 30, 31	6
योग			34

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

3.5.5 शिशु लिंगानुपात

शहडोल शहर का लिंगानुपात **954** है, नगरपालिका क्षेत्र का जनसंख्या लिंगानुपात 954 है जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात **938** है। वार्ड क्रमांक 5, 15, 20, 22, 33 का लिंगानुपात सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला वार्ड क्रमांक 9, 10, 26 है। जिसका विवरण सारणी 3-सा-13 में दिया गया है।

वार्डवार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3-सा-13

क्र.	शिशु जनसंख्या (0-6) लिंगानुपात	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	<700	9, 10, 26	3
2.	700- 800	13, 14, 19, 24, 23, 30, 28	7
3.	800-900	2, 3, 4, 11, 7, 8, 29, 34, 21, 18, 32	11
4.	900-1000	1, 31, 12, 6, 25, 27, 16, 17	8
5	>1000	5, 15, 33, 20, 22	5
योग			34

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

3.5.6 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या


शहडोल जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या से अनुक्रम में 16.80 प्रतिशत है। उक्त जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है, किन्तु वार्ड क्रमांक-4, 13, 14, 16, 20, 24, 8 में सबसे कम एवं वार्ड क्रमांक 31, 2, 17, 33 में सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति-जनजाति का विवरण सारणी 3-सा-14 में दिया गया है।


वार्डवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

सारणी 3-सा-14

क्र.	अनुसूचित जाति/ जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1.	2	3	4
1.	<10	4, 13, 14, 16, 20, 24, 8	7
2.	10-20	1, 3, 11, 6, 7, 15, 25, 26, 21, 23	10
3.	20-30	10, 12, 32, 27, 29, 30, 22	7
4.	30-40	5, 9, 28, 19, 18, 34	6
5	>40	31, 2, 17, 33	4
योग			34

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011






SHAHDOL
3.7 WARD WISE SC/ST POPULATION


Legend

SC / ST Population (Percent)



Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Source: Census of India, 2011



Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

3.5.7 साक्षरता

शहडोल नगर पालिका क्षेत्र में साक्षरता दर 75 प्रतिशत है। शहर के वार्ड क्रमांक 31 में साक्षरता दर सबसे कम 62 प्रतिशत है एवं वार्ड क्रमांक- 9 में सबसे अधिक लगभग 90 प्रतिशत पायी गई है। साक्षरता का विवरण सारणी 3-सा-15 में दिया गया है।

वार्डवार साक्षरता प्रतिशत**सारणी 3-सा-15**

क्र.	साक्षरता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	<65	31	1
2.	65-70	2	1
3.	70-75	17, 22, 29	3
4.	75-80	1, 3, 4, 10, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 30, 28	12
5.	80-85	6, 8, 32, 34, 15, 33, 24, 12, 26, 25, 7, 20, 16, 13, 11, 5	16
6.	>85	9	1
योग			34

स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011

3.5.8 कार्यशील जनसंख्या

शहडोल नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं तथा सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक- 16, 18, 17, 19, 26, 31 एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक-9, 5, 4, 10, 23, 13, 28, 14, 29, 7 में प्राप्त हुई है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक संरचना सारणी निम्नानुसार है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3-सा-16 में दर्शाया गया है।

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

सारणी 3-सा-16

क्र.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	>30	4, 5, 7, 9, 10, 13, 23, 28, 14, 29	6
2.	30-35	30, 11, 3, 34, 12, 33, 32, 1, 22, 15, 24, 8, 2, 27, 21, 6, 20, 25	18
3.	>35	16, 17, 18, 19, 26, 31	6
योग			34

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

3.5.9 जनसंख्या परिवर्तन

• शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में शहडोल नगर पालिका परिषद एवं ग्रामों को भी शामिल किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-17 में दर्शाया गया है।

शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी-3-सा-17


जनसंख्या (2011)		योग
नगर पालिका क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	जनसंख्या निवेश क्षेत्र
1	2	3
86681	15826	102507


स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का आंकलन पृथक रूप से किया गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के कारण मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर में भी असमानता होती है।

• नगरीय जनसंख्या परिवर्तन

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न-भिन्न कारणों से होता है। किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आंकलन कर भविष्य की





आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके। नगर की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3-सा-18 में दर्शायी गयी है।

शहडोल नगर पालिका परिषद क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी-3-सा-18

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर
1	2	3	4
1.	1971	32236	—
2.	1981	49631	53.96
3.	1991	60529	21.96
4.	2001	78625	29.90
5.	2011	86681	10.25

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि शहडोल नगर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1971 से 1981 में सर्वाधिक 53.96 प्रतिशत रही। वर्ष 1991 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.96 प्रतिशत तक पाई गई जो वर्ष 2001 में 29.90 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में पुनः घटकर न्यूनतम रही है।

• ग्रामीण जनसंख्या परिवर्तन

ग्रामीण क्षेत्र की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3-सा-19 में दर्शायी गयी है।

ग्रामीण क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी- 3-सा-19

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर
1	2	3	4
1.	1971	5839	—
2.	1981	8417	44.15
3.	1991	11999	42.56
4.	2001	12924	7.71
5.	2011	15826	22.45

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं। नगर के वर्तमान कार्यकलाप, क्षेत्रीय संसाधनों आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का

निर्धारण किया जा सकता है। संभागीय मुख्यालय होने के कारण नगर के मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार है :-

1. संभाग स्तर के प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना।
2. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास।
3. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास।
4. औद्योगिक विकास।
5. कृषि कार्यों को प्रोत्साहन।

3.7 नगरीय विस्तार

शहडोल निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम, अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3-सा-20 में स्पष्ट है।

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3-सा-20

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हे. में.)
1	2	3
1.	2007 तक	735
2.	2007-2013	201
3.	2013-2021	381


स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण।


वर्ष 2007 तक नगरीय गतिविधियां प्रमुखतः शहडोल रेलवे स्टेशन एवं नगर के मध्य क्षेत्र एवं पुराना बस स्टैण्ड के आस-पास के क्षेत्र में केन्द्रित थी। वर्ष 2007 से 2013 तक नगरीय विस्तार पुराना बायपास मार्ग के आस-पास के क्षेत्र में था। वर्ष 2013 के पश्चात् निवेश क्षेत्र में विकास प्रमुख मार्गों तथा ग्राम गोरतरा, नरसरहा, कल्याणपुर एवं कोईलारी में हुआ है।

3.8 अनुमानित जनसंख्या

3.8.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। शहडोल नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त





बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। शहडोल नगर में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021, 2031 एवं 2035 की जनसंख्या का आंकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3-सा-21 में दर्शाया गया है।

शहडाल नगर पालिका परिषद क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3-सा-21

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2031	2035
1	2	3	4	5
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	97702	108910	113445
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	97516	108351	112685
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	138975	188672	213290
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	124816	179729	207949

3.8.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

शहडोल विकास योजना 2035 में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या का आंकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धति द्वारा किया गया है, जिसे सारणी 3-सा-22 में दर्शाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3-सा-22

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2021	2031	2035
1	2	3	4	5
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	18431	21144	22259
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	18323	20820	21818
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	19605	24287	26287
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	20306	26055	28787

3.8.3 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या


शहडोल निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3-सा-23

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1.	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	135704
2.	अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	134504

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
3.	ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)	213290
4.	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)	236735

शहडोल विकास योजना-2035 की कुल जनसंख्या का आंकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है। इसमें से घातांकीय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 236735 अनुमानित की गई है। जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 134504 अनुमानित की गई है।



संभागीय मुख्यालय होने के साथ ही जिले में स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं का विकास होने के कारण भविष्य में नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये शहडोल विकास योजना-2035 के लिए निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.50 लाख अनुमानित की गई है।

3.9 गंदी बस्तियाँ

मूलभूत नियम सेवा-सुविधाओं रहित क्षेत्र जहाँ पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ विद्यमान हो, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है। नगर पालिका परिषद शहडोल में अधिसूचित गंदी बस्तियों की संख्या 9 हैं, जिसमें 7406 व्यक्ति निवास करते हैं।

3.10 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता

आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति आदि पर आधारित होता है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 86681 व्यक्ति 17833 परिवारों में निवास करते हैं। इस आधार पर परिवार का आकार 4.86 व्यक्ति आता है। अतः परिवार

का आकार 4.8 व्यक्ति के मान से वर्ष 2021 में 26041 परिवार नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत निवास करते हैं ऐसा अनुमानित है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुसार नगर के अंतर्गत 21979 आवास स्थित हैं। इस आधार पर प्रति आवास व्यक्तियों की औसत संख्या 5.69 प्राप्त होती है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 4,068 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है। इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगरपालिका के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 1415 झुग्गी-झोपड़ियाँ, गंदी बस्ती क्षेत्रों में पाई गईं। जिसमें से 70 प्रतिशत पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है। इसकी विस्तृत जानकारी सारणी 3-सा-24 में दर्शित है।

आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2021)

सारणी 3-सा-24

क्र.	विवरण	कुल संख्या	पुनस्थापना का प्रतिशत	आवास इकाईयों की कमी
1	2	3	4	5
1.	वर्ष 2021 में कमी	-	-	4,068
2.	कच्चे मकान	2975	80	2,380
3.	झुग्गी झोपड़ियाँ	1415	70	991
योग				7,439

स्रोत:- नगर पालिका शहडोल/नगर तथा ग्राम निवेश

उपरोक्त आंकलन के अनुसार शहडोल नगर में 2021 में लगभग कुल 7,439 आवासों की कमी अनुमानित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का विवरण सारणी 3-सा-25 में दर्शाया गया है।

अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ

सारणी 3-सा-25

क्र.	विवरण	2021	2035 (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	जनसंख्या	1,50,000	2,50,000
2.	अतिरिक्त जनसंख्या	—	1,00,000
3.	औसत परिवार का आकार	4.8	4.5
4.	वर्ष 2035 में अतिरिक्त परिवार	—	22222
5.	वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों को आवास की आवश्यकता	—	20000
6.	वर्ष 2022 की आवासीय कमी शामिल करते हुए आवश्यकता	7,439	27,439
कुल आवास आवश्यकता		27,439	

स्रोत:— नगर तथा ग्राम निवेश।

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 4.86 है। अनुमानित है कि वर्ष 2035 में यह 4.50 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा। उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2021 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 27,439 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी। आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू-स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है।
2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो।
3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयत्नों को बढ़ावा देना।
4. भूमि के पुर्नउपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल/सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।
5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड), जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो।

3.11 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.50 लाख तक पहुँचना अनुमानित है। नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियाँ तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना है।

3.11.1 जल प्रदाय

वर्तमान में निवेश क्षेत्र के समीप बहने वाली सरफा नदी पर बना बांध जल प्रदाय का प्रमुख स्रोत है। सरफा नदी शहडोल से 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है जो नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहां से सरफा में 2 जल उपचार संयंत्र स्थित है जिनकी क्षमता 12.00 एम०एल०डी० एवं 2.50 एम०एल०डी० है। नगर में वर्तमान में लगभग 9.6 एम०एल०डी० पानी का (दिन में दो बार) वितरण किया जाता है। नगर में कुल 39 वॉर्डों में 11 शिरोपरी टंकियाँ हैं। नगर पालिका क्षेत्र में 5038 कनेक्शन के द्वारा 6.39 एम.एल.डी. जल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नगर में 810 हैण्डपम्प हैं, जिनके माध्यम से नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति होती है।

नगर में स्थित तालाबों का गहरीकरण कर जल संग्रहण करने तथा प्रचलित प्रणालियों से वर्षा पानी की हार्वेस्टिंग करना आवश्यक होगा। जिससे जल संरक्षण कर भूमि जल स्तर को बढ़ाया जा सके।

3.11.1.1 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय व्यवस्था अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.:1172-1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फ्लस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय हेतु निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :-

जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3-सा-32

क्र.	वर्ष	जनसंख्या	जल आपूर्ति मात्रा (ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल. डी. में)
1	2	3	4	5
1.	2011	102507	135	13.84
2.	2035	250000	135	33.75

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश।

शहडोल नगर में जल प्रदाय हेतु 19.25 एम.एल.डी. का शोधन संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है।

3.11.1.2 जल वितरण व्यवस्था

वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में नगर की 22.92 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है। वर्तमान की अवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्ता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल के दुरुपयोग का रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे, जल दरों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

3.11.2 जल-मल निकास एवं उपचार

नगर पालिका परिषद शहडोल के अनुसार वर्ष 2022 में 8.6 एम. एल. डी. जल-मल उत्पन्न होता है, मल उपचार हेतु नगर में सैप्टिक टैंक, पिट शौचालय एवं सार्वजनिक शौचालय हैं। इनके अतिरिक्त नगर में 6 सार्वजनिक शौचालय भी हैं, जो पे एंड यूज की तर्ज पर संचालित हैं। यह सार्वजनिक शौचालय हेतु मात्र 5/- रुपये प्रति व्यक्ति दर से शुल्क लिया जाता है।

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियाँ तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियाँ पृथक-पृथक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:-

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी।
3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय।
5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित-शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर)/जैविक शौचालय की व्यवस्था।
6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थाएँ आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होना आवश्यक है।

3.11.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू-जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

• सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

शहडोल नगर में अपशिष्ट जल प्रबंधन/उपचार के लिए ग्राम सोहागपुर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा 5 पंपिंग स्टेशन प्रस्तावित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए 27.00 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र की आवश्यकता होगी।

3.11.3 वर्षा जल निकासी

शहडोल शहर में औसतन वार्षिक वर्षा 1131.40 मी.मी. होती है, वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से बहता हुआ नालियों/नालों से होता हुआ मुड़ना नदी में मिल जाता है। जल निकास की समुचित व्यवस्था के अभाव में नगर का निचला क्षेत्र वर्षाकाल में जलमग्न हो जाता है। वर्षा जल के साथ नगर का कूड़ा-कचड़ा प्रवाहित होकर नालियों एवं नालों के संकरे भाग में जमा हो जाता है, जिससे प्रवाह अवरुद्ध हो जाने के कारण आस-पास का क्षेत्र जलमग्न होने से अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है।

शहर की नालियों तथा प्राकृतिक नालों को सुदृढ़ किया जाना, जल निकासी की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। नालियों एवं प्राकृतिक नालों की निरन्तर सफाई, तथा प्राकृतिक नालों के आसपास के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण भी जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रस्तावित है।

3.11.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में शहडोल नगर में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अमरकंटक विद्युत केन्द्र एवं बिरसिंहपुर पाली पावर प्लांट आदि स्थानों से 33 के.वी. 11 के. वी. व एल.टी. लाईन द्वारा क्रमशः 62 कि.मी. लंबी विद्युत लाइन से आपूर्ति की जाती है। इसके बावजूद भी वर्तमान स्थिति में विद्युत की कमी बनी रहती है जिसके लिए आपूर्ति में वृद्धि एवं सुधार की आवश्यकता है। सारणी 3-सा-27 में क्षेत्र की विद्युत खपत दर्शाई गई है। शहडोल नगर पालिका अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में विद्युत की माँग 47.2 मेगावाट है जो कि प्रदाय की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन एवं खपत तालिका में दर्शाई गई है।

विद्युत खपत

सारणी 3-सा-27

प्रकार	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	कृषि	अन्य	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
विद्युत कनेक्शन	2729	273	59	421	88	3570
विद्युत खपत (KWH)	262698	49036	41601	140305	12549	506159

स्रोत: मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, कार्यालय शहडोल।

3.11.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन की भारत में सफल शुरुआत एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नगर में घर से कचरा एकत्रित करने की सुविधा उपलब्ध है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है, जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्रोत सिद्ध होगी। पुनर्चक्रीकरण प्रणाली द्वारा ठोस अपशिष्ट, कागज, लोह धातु, कांच, रबर, प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठोस अपशिष्ट के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आसपास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शहडोल नगर में वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रतिदिन 20.87 टन कचरा घरों से इकट्ठा किया जाता है। कचरा इकट्ठा करने हेतु शहडोल नगर अंतर्गत डोर-टू-डोर कलेक्शन प्रक्रिया अपनाई जाती है एवं नगर पालिका परिषद द्वारा खुले में निष्पादन किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु परिषद में 180 व्यक्तियों का दल कार्यरत है एवं 15 टिपर, 02 डम्पर तथा 40 ट्राईसिकल का उपयोग किया जाता है।

3.12 सामाजिक अधोसंरचना

3.12.1 शासकीय कार्यालय

शहडोल, संभागीय मुख्यालय होने से यहाँ अधिकांश संभाग एवं जिला स्तरीय कार्यालय स्थित हैं। अधिकांश कार्यालयों के पास अपना स्वयं का भवन है तथा शेष कार्यालय किराए के भवनों में कार्यरत हैं, जो शहर के अलग-अलग भागों में बिखरे हुए हैं।

3.12.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

शहडोल नगर के मध्य क्षेत्र में जिला स्तर पर 02 शासकीय चिकित्सालय कार्यरत हैं। नगर के भावी जनसंख्या के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से चिकित्सालय परिसर के पास पर्याप्त स्थल उपस्थित नहीं है अतः सर्व सुविधायुक्त एवं आधुनिक उपकरणों के परिपूर्ण ग्राम कुदरी में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त नगर में 01 जिला चिकित्सालय, 01 आयुष अस्पताल, 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 257 उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें कुल 445 बिस्तर उपलब्ध हैं। 194 नर्स एवं 76 चिकित्सक इनमें कार्य संपादित करते हैं।

3.12.3 शैक्षणिक संस्थाएँ

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं पाण्डव नगर स्थित शासकीय इंदिरा गॉधी महिला महाविद्यालय के पास पर्याप्त स्थल उपलब्ध है, आदि संचालित है, जिनके पास इस उपयोग हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप स्थल उपलब्ध नहीं है। नगर विभिन्न असुविधाजनक स्थानों में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को वर्तमान विकसित क्षेत्र के बाहर स्थानांतरण करना प्रस्तावित है।

शहडोल में उच्च स्तरीय शासकीय तकनीकी महाविद्यालय ग्राम छतवई में निर्मित एवं चिकित्सा महाविद्यालय ग्राम कुदरी एवं कोटमा में निर्मित किया गया है। समय समय पर प्रतिभावान छात्रों की असुविधाओं एवं आर्थिक मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए प्रबुद्ध नगरवासियों द्वारा जनसंख्या के अनुपात पर महाविद्यालयों की मांग की जा रही है। अतः भावी विकास की दृष्टि से नगर से लगकर नगर के बाहर की ओर महाविद्यालय प्रस्तावित किया जाना है।

3.12.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

वर्तमान विकसित क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट को यथावत बनाये रखना प्रस्तावित है। जब तक कि जनसामान्य की मांग पर उचित कारण से अन्यत्र स्थानांतरित करने की स्थिति न बने। कब्रिस्तान/श्मशान घाट के समीपस्थ शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसका विस्तार किया जा सकता है। नये कब्रिस्तान/श्मशान घाट कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे। इनके स्थल का चयन जनसामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

3.12.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

नगर पालिका परिषद शहडोल का एक अग्निशमन केन्द्र नगर पालिका परिषद परिसर में स्थित है जो नगर की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस केन्द्र का आधुनिक उपकरणों सहित विस्तार प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक सुवधाओं से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3.12.6 कीडांगन/खेल परिसर

वर्तमान में नगर में 1 खेल परिसर उपलब्ध है, जो कि मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से शंभूनाथ महाविद्यालय जाने वाले मार्ग पर स्थित है।

3.12.7 डेयरी फार्म/कुक्कुट पालन

नगर के वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत कई डेयरिया एवं पोल्ट्री फार्म संचालित है। जिन्हे कृषि उपयोग के अंतर्गत नगर के बाहरी क्षेत्र शासकीय भूमि में डेयरी एवं कुक्कुट पालन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु स्थल प्रस्तावित है। जिसमें नगर में संचालित उक्त गतिविधियों को धीरे-धीरे स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

3.12.8 स्लॉटर हाउस

वर्तमान में नए बस स्टैण्ड के पास माँस बिक्री कार्य संचालित है, जो उपयुक्त स्थल नहीं है। अतः नगर के बाहर कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत स्लाटर हाउस का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

3.12.9 मेला स्थल


वर्तमान में विराट मंदिर के पास बाणगंगा मेला मैदान पर वर्ष में मकर संकरात्री पर्व पर एक सप्ताह का मेला लगता है।

3.12.10 प्रदर्शनी स्थल

नगर में वर्तमान में प्रदर्शनी स्थल के लिये कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। नगर के पांडव नगर स्थित पॉलीटेक्निक मैदान पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी स्थल नगर के आसपास की कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जा सकता है।

3.12.11 ए.टी.एम.

ए.टी.एम. मानचित्र में निवेश क्षेत्र में स्थित विभिन्न वाणिज्यिक बैंको के ए.टी.एम. की स्थिति को मानचित्र क्रमांक 3.14 में दर्शाया गया है।



3.12.12 अन्य सेवाएं—सुविधाएं

डाकघर, दूरभाष केन्द्र, आरक्षी/उप आरक्षी केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण केन्द्र, इत्यादि की क्षमता एवं जनसंख्या के आधार पर भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृद्धि करना होगी। प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त स्थल का चयन कर नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

3.12.13 इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशन

सतना में म.प्र. वाहन नीति 2019 एवं समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार इलेक्ट्रिक चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे।

3.12.14 सी.एन.जी. Compressed Natural Gas वितरण सेवा

घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को पाइपड प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) और परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड द्वारा अधिकृत संस्था से सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पी.एन.जी.आर.बी. एक्ट 2006 के तहत विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय- 4 विकास योजना प्रस्ताव-2035

4.1 विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन

शहडोल विकास योजना 2031 प्रस्तावित जनसंख्या 3.00 लाख हेतु दिनांक 10.04.2015 से प्रभावशील की गई थी। नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

4.2 योजना अवधारणा

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 एवं एवं मानिकपुर-पड़रिया राज्य राजमार्ग-9 पर स्थित होने के कारण नगर का भौतिक विकास हुआ है। नगर की पुरानी बसाहट, पुरानी पद्धति की होने के कारण नगर केंद्र में खुले स्थानों का सर्वथा अभाव है। नगर की कुछ घनी बस्तियों में सुधार की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों का घनत्व कम करने के लिए नये आवासीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ नगर के अन्य कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जायेगा ताकि नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके। नगर की यातायात संरचना में सुधार एवं समस्त सेवा-सुविधायें नागरिकों को प्राप्त हो सके। असंगत भूमि उपयोग को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

नगर के मध्य से भारी वाहनों के गुजरने से यातायात में असुविधा होती है। उपरोक्त बात को दृष्टिगत रखते हुए नगर के बाहर से यातायात को ले जाने हेतु पूर्व विकास योजना में बायपास मार्ग का प्रस्ताव किया गया था, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। डिंडौरी एवं अमरकंटक की ओर प्रस्थान करने वाले यातायात हेतु क्षेत्रिय मार्ग प्रस्तावित किया गया है।

शहडोल नगर का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार नगर में स्थित तालाब एवं वर्तमान मार्गों पर आधारित है। भौतिक बंधनों के कारण नगर का वर्तमान स्वरूप निम्न क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है।

1. पुराना नगर ग्राम सोहागपुर रीवा मार्ग।
2. शहडोल-कोकरहाई मार्ग (ग्राम कुदरी, कौटमा)।
3. शहडोल-विचारपुर मार्ग (ग्राम कल्याणपुर, कोईलारी)।
4. शहडोल-अनूपपुर मार्ग (ग्राम गोरतरा, जमुई, जमुआ)।

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह-संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा। वर्तमान में मुख्य मार्गों को शहर से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित बायपास मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त सीधे यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु मिश्रित उपयोग हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है। नगर के भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि एवं वन आधारित उद्योगों हेतु उचित प्रावधान किया गया है साथ ही गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को कृषि उपयोग अंतर्गत मान्य किया गया है।

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

शहडोल विकास योजना 2035 के अनुसार शहडोल निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2030 में जनसंख्या 2.00 लाख के आस-पास रहेगी एवं वर्ष 2035 तक औसतन जनसंख्या 3.0 लाख अनुमानित की गई है।

विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्ध सावर्जनिक, सावर्जनिक सुविधाएं एवं सेवाएं, आमोद-प्रमोद एवं परिवहन क्षेत्र में सम्मिलित हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक शहडोल निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि कुल 2.50 लाख जनसंख्या (वर्ष 2035) के लिये आवश्यक होगी। शहडोल निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है।

4.4 भूमि उपयोग 2035

शहडोल विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 13.97 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू-उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है। विकास योजना 2031 में 12.92 हेक्टेयर प्रति हजार भू-उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी। जबकि वर्तमान में यह दर 9.80 हेक्टेयर प्रति हजार ही प्राप्त हुई है।

वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण

सारणी 4-सा- 1

क्र.	भू-उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हे. में)	विकसित क्षेत्र 2022			उच्चावचन / निम्नावन	प्रस्तावित क्षेत्र 2035		
			क्षेत्रफल	प्रतिशत	उपयोगिता दर		क्षेत्रफल (हे. में)	प्रतिशत	उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आवासीय	2571.56	721.54	49.10	4.81	1850.02	2062.46	59.07	8.25
2.	वाणिज्यिक	236.74	74.11	5.04	0.49	162.63	90.81	2.60	0.36
3.	मिश्रित	49.84	12.57	0.86	0.08	37.27	25.03	0.72	0.10
4.	औद्योगिक	-	21.73	1.48	0.14	-21.73	317.46	9.09	1.27
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	246.85	176.84	12.03	1.18	59.94	193.39	5.54	0.77
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ		10.07	0.69	0.07		13.21	0.38	0.05
7.	आमोद-प्रमोद	248.15	13.60	0.93	0.09	234.55	232.75	6.67	0.93
8.	यातायात एवं परिवहन	524.10	439.19	29.88	2.93	84.91	556.36	15.93	2.23
योग		3877.24	1469.65	100.00	9.80	2407.59	3491.47	100.00	13.97

टीप:-

- वर्ष 2011 की जनसंख्या 102507 एवं 2031 की प्रस्तावित जनसंख्या 2.50 लाख अनुमानित की गई है।
- भूमि उपयोग दर एवं भूमि आवंटन दर प्रति हजार जनसंख्या में दिया गया है।

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। शहडोल निवेश क्षेत्र के चारों ओर परिधि में बड़े-बड़े उद्योग जैसे रिलायंस का सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, एस.जे. के. पॉवर प्लांट, बिड़ला पॉवर प्लांट, मेजर बेयर पॉवर प्लांट, ओ.पी.एम. पेपर मिल, सोडा फैक्ट्री, पॉलीथीन उद्योग एवं गैस आधारित उद्योग आदि स्थित हैं। इनके अतिरिक्त भविष्य में अन्य छोटे-बड़े उद्योग स्थापित किए जाने की संभावना है। इन सभी उद्योगों में उनके कर्मचारियों के लिये आवास एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं हेतु व्यवस्था नहीं है। इस कारण इन उद्योगों में कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं श्रमिक सभी शहडोल नगर में निवास करते हैं तथा नगर की सेवा सुविधाओं का उपयोग करते हैं। अतः शहडोल नगर में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 2062.46 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 59.07 प्रतिशत है, जिसमें सेवाओं, सुविधाओं को स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग में सम्मिलित किया गया है।

4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव मुख्य मार्गों से प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप एवं अनूपपुर मार्ग में बढ़ रहे वाणिज्यिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 90.81 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 2.60 प्रतिशत है।

4.4.3 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज, वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। चूँकि शहडोल निवेश क्षेत्र की परिधि पर भारी मध्यम एवं हल्के श्रेणी के कई उद्योग पूर्व से संचालित है एवं भविष्य में ऐसे उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित होने की संभावना है इस कारण शहडोल नगर में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत केवल 25.03 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.72 प्रतिशत है। औद्योगिक क्षेत्र शहर में कम होने के कारण नगर में भारी वाहनों के संचालन/आवागमन में कमी आवेगी जिससे क्षेत्र में जहां ट्रेफिक जाम की संभावना कम होगी वही प्रदूषण कम करने में भी सहायता मिलेगी।

4.4.4 मिश्रित

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 317.46 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.09 प्रतिशत है।

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 193.39 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 5.54 प्रतिशत है।

4.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 13.21 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.38 प्रतिशत है।

4.4.7 आमोद-प्रमोद

विकास योजना में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत 232.75 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.67 प्रतिशत है। प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित है।

4.4.7.1 नगर उद्यान

शहर में वर्तमान में कुल 03 नगर उद्यान हैं। इस उपयोग के अन्तर्गत ग्राम मतनी, गोरतरा, कुदरी, चंदनिया में नवीन नगर उद्यान हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। शहर में वर्तमान में कुल 03 उद्यान हैं।

4.4.7.2 स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में शहडोल नगर में एक स्टेडियम विद्यमान हैं। इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती है।

4.4.7.3 खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है, जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू-दृश्यीकरण विकास के साथ-साथ आमोद-प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है। आवासीय परिक्षेत्रों एवं गतिविधि कॉरिडोरों के विस्तृत अभिन्यास रूपांकन में औपचारिक एवं अन्य भवनों से संलग्न खुले क्षेत्रों का प्रावधान मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार रखा जावेगा जो की स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो सकेंगे।

4.4.7.4 जल स्रोतों का विकास एवं संरक्षण/संवर्धन/सौंदर्यीकरण

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत तालाबों का विकास किया जाना प्रस्तावित है-

शहडोल : जलाशयों का विकास

सारणी 4-सा- 2

क्र.	ग्राम का नाम	जलाशयों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना 2035
1	2	3	4	5
1	नरसरहा	4	8.91	सौंदर्य एवं अमोद प्रमोद हेतु।
2	भुईबांध	3	1.26	
3	सौखी	5	2.97	
4	शहडोल	7	5.95	
5	बलपुरवा	5	5.17	
6	सोहागपुर	56	55.49	
7	कुदरी	15	19.17	
8	कोटमा	29	40.39	
9	गोरतरा	19	17.85	
10	जमुआ	7	5.74	
11	जमुई	11	15.78	
12	कोईलारी	1	0.99	
13	बेलहा	3	3.66	
14	कल्याणपुर	2	1.68	
15	देवगंवा (उमरिया)	9	4.29	
16	चंदनिया (उमरिया)	4	2.13	
17	बंधवाखुर्द (उमरिया)	2	2.46	
योग		185	193.89	

टीप:- राजस्व रिकार्ड के अनुसार जो तालाब वर्तमान में उपलब्ध है यदि उन पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य अथवा कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराया जाएगा एवं प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में पुनर्स्थापित किये जा सकेंगे।

नगर की पेयजल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख तालाबों का वर्गीकरण घाट निर्माण इनके बंधान पर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इससे निश्चित रूप से भूमि जल स्रोत बढ़ेगा तथा सिंचाई हेतु भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा। नगर का पर्यावरण उन्नयन होने के साथ ही पिकनिक स्थल विकसित हो सकेंगे। निम्न तालाबों का पर्यावरण संरक्षण एवं उन्नयन तत्काल किया जाना प्रस्तावित है। (1) मोहनराम तालाब (2) पुराना कलेक्ट्रेट (3) मत्स्य पालन विभाग के चार तालाब (4) घरौला मोहल्ला ताला (5) पुरानें बस स्टैंड के निकट का तालाब (6) कट्ठी मोहल्ला तालाब (7) बाणगंगा के पास चमर गौथी तालाब इनका विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।

नगर पालिका सीमा एवं निवेश क्षेत्र में स्थित तालाबों में से कुछ तालाब ऐसे हैं जो अतिक्रमण एवं गंदगी के कारण लुप्त प्रायः हो गए हैं। अतः इनकी तत्काल साफ सफाई किया जाकर इनका गहरीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

4.4.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 556.36 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 15.93 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना का विकास प्रस्तावित किया गया है।

4.4.8.1 बस स्थानक

वर्तमान में नवीन बस स्थानक बल पुरवा चौराहे पर निर्मित हो चुका है। परन्तु विकास योजना 2035 की आवश्यकता को देखते हुए दो नवीन बस स्थानक हेतु 5.90 हेक्टेयर भूमि ग्राम मतनी में सिंगपुर मार्ग पर एवं ग्राम सोहागपुर में आई.टी.आई. के सामने उपदर्शित की गई है जो भावी आवश्यकताओं की पूर्ती करने के लिए पर्याप्त है।

4.4.8.2 यातायात नगर

विकास योजना 2035 की आवश्यकताओं को देखते हुए ग्राम देवगवां में बायपास मार्ग से लगकर यातायात नगर हेतु 3.44 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

4.5 मध्य क्षेत्र

4.5.1 मध्य क्षेत्र

नगर का पुराना आबादी क्षेत्र अत्यंत सघन एवं संकीर्ण मार्गों पर बसा हुआ है। जिनमें नगर का मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र स्थित है। अन्य बड़े नगरों की तरह शहडोल नगर की इस पुरानी बस्ती की अपनी अलग आवश्यकताएं हैं। अतः कार्य सम्पादन लक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए शहडोल नगर के मध्य क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. उत्तर में :- कलेक्ट्रेट तिराहा से उच्च विश्राम गृह से होकर पुलिस लाईन लेते हुए घरौला मोहल्ला तक।
2. पूर्व में :- घरौला मोहल्ला में घरौला तालाब से बस स्टेंड मार्ग से इन्द्रा चौक होते हुए सिंगपुर मार्ग से रेल्वे की सीमा तक।
3. दक्षिण में:- रेल्वे की सीमा से होते हुए पश्चिम में ग्राम शहडोल की सीमा तक।
4. पश्चिम में :- ग्राम शहडोल एवं सोहागपुर की सीमा से पांडव नगर में प्रस्तावित मार्ग से पॉलिटिकनिक एवं कलेक्ट्रेट को लेते हुए जय स्तंभ तिराहा तक।

4.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित हैं, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस-पास स्थापित हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:-

- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे - नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:-

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

शहडोल नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा अधिसूचित 09 गंदी बस्तियां हैं। नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का

विकास किया जाना प्रस्तावित है। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव न हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

4.8 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी :-

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू-उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्विकरण/पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे।
2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।
3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्रानुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा।

भू-स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे-सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा।

4.9 ग्राम आबादी विस्तार

शहडोल निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी टेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार होगा। यह संबंधित उपयोग परिक्षेत्रों के संदर्भ में निर्धारित किया जावेगा।

4.11 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारण किया गया है जो निम्नानुसार है।

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग सारणी 4-सा- 3

क्र०	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का उपयोग
1	2	3	4	5
1.	आरामशीन-1	सराफ अस्पताल के सामने	नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य	वाणिज्यिक
2.	आरामशीन-2	नया कलेक्ट्रेट	नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य	मिश्रित
3.	लकड़ी बाजार	गंज क्षेत्र	नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य	वाणिज्यिक
4.	कबाड़ी बाजार	गंज क्षेत्र एवं इतवारी मोहल्ला, कठठी मोहल्ला	नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य	वाणिज्यिक
5	कृषि उपज मंडी	गंज क्षेत्र	नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य	वाणिज्यिक
5.	पशु बाजार/घास बाजार	गंज क्षेत्र	नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य	वाणिज्यिक

क्र०	उपयोगों का स्थानांतरण	वर्तमान स्थल	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का उपयोग
1	2	3	4	5
6	आबकारी वेयर हाउस	स्टेशन मार्ग	नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य	वाणिज्यिक
7	बस स्टैंड	बलपुरवा चौक	रीवा मार्ग एवं सिंगपुर मार्ग पर	वाणिज्यिक
8	पोल्ट्री फार्म	नया कलेक्ट्रेट	नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

स्रोत: नगर तथा ग्राम निवेश।

अध्याय- 5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन हैं जो नगर के यातायात संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अन्य प्रचलित हल्के वाहनों में कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि हैं।

वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु आटो रिक्शा वाहन एवं माल परिवहन हेतु मुख्यतः आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का उपयोग प्रचलन में है। दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके कारण नागरिकों को अपने कार्यकेन्द्रों पर एवं अन्य रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है।

5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र

नगरीय यातायात तंत्र का नियोजन भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को प्रभावित करता है। नगर की यातायात प्रणाली निम्न नीति बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है:-

- दक्ष एवं बहुआयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।
- मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रवाह हेतु मार्गों का विकास।
- मुख्य गतिविधि पुंजक एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुँच मार्गों की व्यवस्था करना।
- क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण।

5.3 अंतर्नगरीय यातायात

5.3.1 रेल मार्ग

शहडोल नगर रेल यातायात से बिलासपुर-कटनी रेल लाइन पर स्थित नगर एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिससे इसकी क्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता की पूर्ति होती है। वर्तमान में शहडोल रेलवे स्टेशन लगातार विकसित हो रहा है, इसके उन्नयन के साथ साथ ही तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5.3.2 सड़क मार्ग

शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एवं राजमार्ग क्रमांक-9 शहडोल नगर से गुजरते हैं जो शहर कटनी, उमरिया एवं रीवा, सतना से जोड़ते हैं। अतः माल का आयात-निर्यात मुख्यतः कोयले की खदानों से निकलने वाले कोयले एवं पावर प्लांट से निकली हुई राख, ओरियट पेपर मिल एवं अन्य उद्योगों हेतु कच्चा माल सड़क मार्ग द्वारा देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आयातित/निर्यातित होता है। इस प्रकार क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का काफी दबाव रहता है। क्षेत्रीय यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये बायपास मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हैं।

5.3.3 हवाई पट्टी

शहडोल नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम लालपुर में हवाई पट्टी है जो कि नगर की अत्यावश्यक हवाई सेवा की पूर्ति करती है।

5.4 नगरीय यातायात

नगरीय यातायात की परिभ्रमण संरचना वर्तमान एवं प्रस्तावित दोनों ही प्रकार के प्रमुख कार्य केन्द्रों तथा यातायात अवसान केन्द्रों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित की गई है, इसके द्वारा क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण हो सकेगा। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना से नगर के प्रमुख कार्य केन्द्रों से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। प्रस्तावित यातायात संरचना हेतु अपनाई गई नियोजन नीति निम्न बिन्दुओं पर आधारित है -

(अ) नगर के आबादी क्षेत्रों एवं मुख्य गतिविधि क्षेत्रों तक सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात प्रणाली का विकास।

(ब) मुख्य कार्य केन्द्रों जैसे- यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, शैक्षणिक आदि केन्द्रों में पदचारी मार्गों का विकास।

(स) विभिन्न संरचना इकाईयों के मध्य प्रभावी परिवहन तंत्र का विकास।

(द) समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात एवं प्रबंधन की तकनीकी पहल।

(इ) नगर की भावी जनसंख्या हेतु दक्ष एवं सुदृढ परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।

5.5 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

वर्तमान में नगर यातायात हेतु क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का अधिकतम दबाव है। नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अन्तर्संबद्धता स्थापित करने हेतु शहडोल विकास योजना 2031 में प्रस्तावित क्षेत्रीय/नगरीय मार्गों का क्रियान्वयन नहीं हो सका। अतः प्रस्तावित मार्ग संरचना को वर्तमान स्थिति के अनुरूप यथा संशोधन के साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है।

5.5.1 मार्गों की श्रेणी

- **बायपास मार्ग / वृत्तीय मार्ग**

शहडोल नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एवं राजमार्ग क्रमांक-9 गुजरते हैं, जिसके फलस्वरूप नगर का विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क स्थापित होता है। नगर के आंतरिक यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं को कम करने हेतु नगर के उत्तरी भाग में बायपास मार्ग का विकास किया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 60.00 मीटर प्रस्तावित की गई है। आंतरिक वर्तमान बायपास मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर प्रस्तावित की गयी है।

- **उप क्षेत्रीय मार्ग (मुख्य मार्ग)**

नगर का प्रमुख यातायात नगर केन्द्र, प्रमुख कार्य केन्द्र, शिक्षा संस्थायें, स्वास्थ्य केन्द्र इन्हीं मार्गों पर स्थित होने से इन मार्गों की यातायात क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये चौड़ाई 30.00 मीटर प्रस्तावित की गई है।

- **वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग**

यह मार्ग आवासीय खण्डों एवं भूमि उपयोग क्षेत्रों की सीमा पर प्रस्तावित किये गये हैं, ये विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबन्ध स्थापित करेंगे, इनकी चौड़ाई 24.00 मीटर प्रस्तावित की गई है।

- **उप वृत्तखण्ड मार्ग**

इन मार्गों द्वारा खण्ड में स्थित आबादी की यातायात विषयक आवश्यकतायें पूरी होती रहेंगी, तथा इन मार्गों को वृत्त खण्ड स्तरीय मार्गों से जोड़ा जाएगा। इन मार्गों की चौड़ाई 18.00 मीटर प्रस्तावित की गई है।

- **स्थानीय मार्ग**

स्थानीय मार्गों की चौड़ाई 7.50 से 12.00 मीटर प्रस्तावित है। इनके विशेष प्रस्ताव परिक्षेत्रिक योजना अथवा विकास योजना प्रस्तावों के विस्तृतीकरण के समय दिए जावेंगे।

5.5.2 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

यातायात के प्रकार व उनकी विशेषता के अनुरूप एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की गई है, सारणी 4-सा-1 में विद्यमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई एवं सारणी 4-सा-2 में नगर के विकास हेतु विभिन्न प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की गई है।

प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 4-सा-1

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
1	उमरिया-शहडोल-बुढार मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43)	
(i)	पश्चिमी नवीन बायपास मार्ग संगम से न्यू गांधी चौक तक	30
(ii)	न्यू गांधी चौक से पूर्वी नवीन बायपास मार्ग संगम तक	30
(iii)	मार्ग का शेष भाग	60
2	शहडोल-रीवा मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-9)	
(i)	जयस्तभ से नवीन बायपास मार्ग संगम तक	30
(ii)	मार्ग का शेष भाग	45
3	शहडोल-कोकरहाई मार्ग	
(i)	बुढार चौक से बलपुरवा चौक तक	18
(ii)	बलपुरवा चौक से नवीन बायपास मार्ग संगम तक	18
(iii)	मार्ग का शेष भाग	30
4	शहडोल-सिंहपुर मार्ग	
(i)	बुढार चौक से भारतीय खाद्य निगम भंडार तक	18
(ii)	मार्ग का शेष भाग	30
5	शहडोल-पंचगाँव-विचारपुर मार्ग	
(i)	न्यू गांधी चौक से नटराज होटल तक	24
(ii)	नटराज होटल से जैन चौक तक	12
(iii)	जैन चौक से पुराना गांधी चौक तक	12
(iv)	पुराना गांधी चौक से रेलवे क्रॉसिंग तक	12
(v)	रेलवे क्रॉसिंग से वर्तमान आबादी वाले क्षेत्र तक	18
(vi)	मार्ग का शेष भाग	60
6	शहडोल-कल्याणपुर-सेंदुरी मार्ग	
(i)	न्यू गांधी चौक से अनाज मंडी (गंज मार्ग)	18
(ii)	अनाज मंडी से रेलवे अंडरपास होते हुए मुड़ना नदी तक	18
(iii)	मुड़ना नदी से कल्याणपुर ग्राम तक	18
(iv)	कल्याणपुर ग्राम से आगे	18
7	अन्य मार्ग	

(i)	वन कार्यालय चौक से स्टेडियम होते हुए कोतवाली तक	18
(ii)	पंचायती मंदिर रोड	18
(iii)	पंचायती मंदिर रोड से शंकर छविग्रह होते हुए कोतवाली तक	18
(iv)	पुराना गांधी चौक से पंचायती मंदिर रोड	12
(v)	राजेन्द्र छविग्रह से महिला महाविद्यालय तक	24
(vi)	पुराना कलेक्ट्रेट से पुलिस लाईन जाने वाला मार्ग	12
(vii)	झूला पुल से डी.आई.जी. बंगला पुलिस लाईन होते हुए सरावगी पेट्रोल पंप तक	12
(viii)	जय स्तम्भ चौक से निगम कॉलोनी होते हुए पांडव नगर पॉलिटेक्निक	12
(ix)	रेल्वे स्टेशन से सिंगपुर मार्ग	18
(x)	सिंगपुर मार्ग से पंचगोव-विचारपुर मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग	24
(xi)	जेल तिराहे से संभागायुक्त आवास तक	18
(xii)	होटल त्रिदेव से सेंट एलॉएसिस स्कूल होते हुए ग्राम कुदरी में नवीन बायपास मार्ग तक	24
8	नवीन बायपास मार्ग	60
9	ग्रामीण मार्ग	12

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश।


नोट:- (1) इन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई कम नहीं की जावेगी। स्थल पर प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक चौड़ाई उपलब्ध होने पर उपलब्ध चौड़ाई यथावत मान्य होगी।

(2) मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का क्रियान्वयन इन मार्गों के दोनो और स्थित मकानों के पुर्ननिर्माण के समय किया जावेगा।

प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई

सारणी 4-सा-2

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
1.	उप क्षेत्रीय मार्ग (मुख्य मार्ग)	
(i)	एम.आर. 01 - एस. एन शुक्ल विश्वविद्यालय से ग्राम कोईलारी में रेल्वे सीमा के समानांतर ग्राम बंधवाखुर्द तक	30
2.	वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sector Road)	
(i)	एस. आर. 01 - ग्राम जमुआ में मारुति सुजुकी के आगे से ग्राम गोरतरा होते हुए ग्राम मतनी में शहडोल-सिंहपुर मार्ग तक	24



क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
(ii)	एस. आर. 02 - ग्राम जमुई में अनूपपुर मार्ग से ग्राम कुदरी/कोटमा में शहडोल-कोकरहाई मार्ग तक	24
(iii)	एस. आर. 03 - ग्राम सोहागपुर में शासकीय कन्या महाविद्यालय से ग्राम चंदनियों में एस. एस. आर. 17 तक	24
(iv)	एस. आर. 04 - ग्राम शहडोल के शासकीय शंभूनाथ महाविद्यालय से मुड़ना नदी होते हुए ग्राम कोईलारी, बंधवाखुर्द, ग्राम चंदनियों में साईं मंदिर के पास एन. एच. 43 तक	24
3.	उप वृत्तखण्ड स्तरोय मार्ग (Sub-Sector Road)	
(i)	एस. एस. आर. 01 - ग्राम गोरतरा में एस आर 01 से ग्राम गोरतरा में एस आर 01 तक	18
(ii)	एस. एस. आर. 02 - ग्राम गोरतरा में एस. एस. आर. 04 से ग्राम गोरतरा में एस. एस. आर. 03 तक	18
(iii)	एस. एस. आर. 03 - एस. एस. आर. 02 से गोरतरा-नरसरहा मार्ग तक	18
(iv)	एस. एस. आर. 04 - ग्राम गोरतरा में एस आर 01 से ग्राम जुमआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक	18
(v)	एस. एस. आर. 05 - ग्राम जमुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से एस आर 02 तक	18
(vi)	एस. एस. आर. 06 - ग्राम जमुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से ग्राम गोरतरा होते हुए ग्राम गोरतरा में गोरतरा-नरसरहा मार्ग तक	18
(vii)	एस. एस. आर. 07 - ग्राम जमुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से एस. एस. आर. 10 होते हुए ग्राम जमुई में एस आर 02 तक	18
(viii)	एस. एस. आर. 08 - ग्राम जमुई में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से ग्राम जमुई में एस आर 2 तक	18
(ix)	एस. एस. आर. 09 - नवीन बायपास मार्ग से ग्राम जमुई में एस आर 2 तक	18
(x)	एस. एस. आर. 10 - ग्राम जमुई में जमुई-हरदी मार्ग से ग्राम कुदरी में नवीन बायपास मार्ग तक	18
(xi)	एस. एस. आर. 11 - होटल त्रिदेव-सेंट एलॉएसिस स्कूल मार्ग से ग्राम कुदरी में शहडोल-कोकरहाई मार्ग तक	18
(xii)	एस. एस. आर. 12 - होटल त्रिदेव-सेंट एलॉएसिस स्कूल मार्ग	18

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
	से नवीन वन कार्यालय से होते हुए शहडोल-कोकरहाई मार्ग तक	
(xiii)	एस. एस. आर. 13 - शहडोल-कोकरहाई मार्ग से ग्राम कोटमा जाने वाला मार्ग (ग्राम कोटमा) तक	18
(xiv)	एस. एस. आर. 14 - ग्राम कोटमा में कोटमा मार्ग से नवीन बायपास मार्ग तक	18
(xv)	एस. एस. आर. 15 - ग्राम सोहापुर में मुड़ना नदी होते हुए नवीन बायपास मार्ग में तक	18
(xvi)	एस. एस. आर. 16 - ग्राम चंदनिया से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक	18
(xvii)	एस. एस. आर. 17 - ग्राम बंधवाखुर्द में एस आर 04 से एस आर 03 होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक	18
(xviii)	एस. एस. आर. 18 - ग्राम सोहापुर में निगम कॉलोनी मार्ग से मुड़ना नदी होते हुए ग्राम चंदनिया मार्ग तक	18
(xix)	एस. एस. आर. 19 - ग्राम चंदनिया में एस आर 03 से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक	18
(xx)	एस. एस. आर. 20 - ग्राम कोइलारी में एस आर 04 से एम. आर. 01 एस आर 04	18
(xxi)	एस. एस. आर. 21 - ग्राम बंधवाखुर्द में एम. आर. 01 से एस आर 04 तक	18
(xxii)	एस. एस. आर. 22 - ग्राम शहडोल में रेल्वे फाटक के पास से शहडोल-कल्याणपुर मार्ग तक	18
(xxiii)	एस. एस. आर. 23 - एस. एस. आर. 17 से एस आर 04 तक	18
(xxiv)	एस. एस. आर. 24 - एस आर 03 से एस आर 04 तक	18
(xxv)	एस. एस. आर. 25 - एस. एस. आर. 04 से एस आर 01 तक	18
(xxvi)	एस. एस. आर. 26 - एस आर 01 से एस. एस. आर. 04 होते हुए वर्तमान मार्ग तक	18
(xxvii)	एस. एस. आर. 27 - एस आर 01 से एस. एस. आर. 06 होते हुए वर्तमान मार्ग तक	18

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश।

5.6 यातायात अवसान केन्द्र (माल/यात्री)

वर्तमान में रेल्वे स्टेशन में उपलब्ध सेवा सुविधाओं वाहन विराम स्थल इत्यादि में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। नवीन बस स्थानक बलपुरवा चौराहे पर निर्मित हो चुका है। परंतु विकास योजना 2035 की आवश्यकता को देखते हुए रीवा रोड सोहागपुर में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

(अ) रेल्वे गुड्स यार्ड

भविष्य की आवश्यकता के मान से वर्तमान में रेल्वे विभाग का गुड्स यार्ड हेतु स्थान पर्याप्त है।

(ब) यातायात नगर

शहडोल नगर के मध्य क्षेत्र में व्याप्त यातायात समस्याओं के निदान हेतु यातायात नगर उमरिया-शहडोल-बुढार बायपास मार्ग पर ग्राम देवगंगा में विकसित होना प्रस्तावित है।

• 4.6.1 आवसान केन्द्र (यात्री)

(अ) रेल्वे स्टेशन

वर्तमान में शहडोल रेल्वे स्टेशन नगर के दक्षिण में स्थित है, नगर के मध्य से व अन्य क्षेत्र से पहुंच मार्ग उपलब्ध है। रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।

(ब) क्षेत्रीय बस स्टैण्ड एवं बस डिपो

शहडोल नगर में वर्तमान में बस स्टैण्ड नगर के मध्य में ग्राम बलपुरवा में स्थित है। जो कि रेल्वे स्टेशन के नजदीक एवं मुख्य मार्ग पर स्थित है।

5.7 पार्किंग प्रस्ताव

वर्तमान में पार्किंग की समस्या नगर के मध्य क्षेत्र एवं अन्य कार्य केन्द्रों के समीप बहुत अधिक है। आने वाले समय में यह समस्या और भी बढ़ेगी, इसका एक मात्र हल यही होगा कि प्रभावी परिवहन व्यवस्था विकसित की जावे एवं यातायात के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार की जावे। साथ ही स्थायी निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि पार्किंग की विस्तृत योजना बनाई जाकर उसका क्रियान्वयन किया जावे। पार्किंग योजना तैयार होने तक निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है।

- (i) मध्य क्षेत्र में फुटपाथ की चौड़ाई 1.5 मीटर रखी जाकर उसके अंदर ही ड्रेनेज निकाली जाये तथा सड़क की शेष भूमि का पार्किंग के लिये उपयोग किया जावे।

- (ii) चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के लिये पृथक-पृथक पार्किंग क्षेत्र का निर्धारण ।
- (iii) नगर के क्षेत्रीय मार्गों एवं कार्यकेन्द्रों के समीप पार्किंग के स्थान हेतु भूमि आरक्षित करना ।
- (iv) स्वीकृत मानचित्रों में पार्किंग के लिये प्रस्तावित क्षेत्र का स्थानीय प्रशासन द्वारा समय सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।

5.8 यातायात प्रबंधन योजना

विगत दशक में शहडोल में पंजीकृत वाहनों की में काफी वृद्धि हुई है। अतः नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित कार्यकेन्द्रों के बढ़ते स्वरूप तथा विद्यमान मार्ग संरचना की सीमित क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाकर उसका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है । यातायात प्रबंधन योजना के घटकों में मार्ग संगमों पर ट्रेफिक सिग्नल, रोटरी, ज्यामितिय संरचना, मार्ग विभाजन, जन परिवहन वाहनों को यातायात में प्राथमिकता, पैदल यात्रियों के लिये फुटपाथ, चौराहों पुटपाथ पर रेलिंग व्यवस्था, सडकों पर यातायात के लिये चिन्ह अंकित करना, नागरिकों को यातायात की जानकारी, स्कूल एवं कॉलेजो में यातायात प्रशिक्षण आदि को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

• चौराहों का विकास (मार्ग संगम सुधार)

नगर के व्यस्तम मार्ग संगमों पर यातायात सिग्नल लगाये जाकर उन्हें सिन्कोनाइज किया जावे तथा इनके नियंत्रण हेतु केन्द्रीय यातायात नियंत्रण योजना तैयार की जाना प्रस्तावित है। भविष्य की आवश्यकताओं, यातायात दबाव तथा स्थल विशेष की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रमुख मार्ग संगमों का सुधार (विकास) सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से किया जाना प्रस्तावित है जो कि निम्नानुसार है:-

- 1- पुराना गॉंधी चौराहा
- 2- शंकर छविगृह चौराहा
- 3- किरण छविगृह चौराहा
- 4- बाणगंगा चौराहा
- 5- बलपुरवा चौराहा
- 7- मिशन अस्पताल चौराहा

अध्याय— 6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ये नियमन निम्न गतिविधियों पर लागू होंगे:

1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग शामिल है।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
5. ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हो।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी एवं यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि कोई विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि,

वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाए अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।
6. आस-पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उपदर्शित नहीं हैं अथवा उपदर्शित हैं, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएगी।
7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो स्वीकार्य होगी।
9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है, तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जाएगा।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिए आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी।
12. विकास अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाएगा।
13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएँ उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होंगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुए एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दी जाएगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर 15.0 मीटर, बड़े तालाबों की स्थिति में 20.0 मीटर तक, छोटे तालाबों एवं नालों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्रोतों, आमोद-प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।
17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाए, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाए। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाए। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किया जाए, तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन, परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी।
19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा।
20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होगा। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे।

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिए गए हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा, तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरो के आधार पर ही किया जाएगा।
23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किए जा सकेंगे।
24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।
25. 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों के लिए म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-42 में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात (F.A.R.) के अतिरिक्त 1:0.25 F.A.R. हस्तांतरणीय विकास अधिकार (T.D.R.) के रूप में माँग किए जाने पर स्वीकार्य होगा।

6.3 परिभाषाएँ

उपयोग परिक्षेत्र	मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।
उपयोग परिसर	ऐसे परिसर जो उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए उन्हें स्पष्ट किया गया हो।
अभिन्यास	उप विभाजित योजना जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हों।
भूमि उपयोग मानचित्र	सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र।
परिक्षेत्रिक योजना	निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।
नगरीय ग्राम	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादी।
नगरीय विरासत का क्षेत्र	परिसर जिनमें पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
विकसित क्षेत्र	विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
एकल/संयुक्त परिवार	अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय हेतु विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का

शहडोल विकास योजना 2035

भूखण्डीय विकास	भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
मिश्रित उपयोग	मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी।
ऊँचे भवनों का विकास	ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।
फर्शी क्षेत्र अनुपात	फर्शी क्षेत्रानुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
भवन की ऊँचाई	अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
संवेदनशील क्षेत्र	परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, इकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।
ग्राम आबादी विस्तार	राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित आबादी क्षेत्र के 200.00 मीटर की परिधि का क्षेत्र।

अन्य परिभाषाएं व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किए गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होंगे। ऐसे क्षेत्र जिसका निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उनका नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएँ, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-1 में दिया गया है।

भू-उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6-सा- 1

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
		लॉजिस्टिक हब	(सी 8)
3	मिश्रित	आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र	(एम)
4	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
5	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		वृक्षारोपण क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ	(पी)
7	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
8	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		यातायात नगर	(टी 7)
9	सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रैडिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल, अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें, पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 10)
10	जल निकाय	नदियाँ	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
11	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू-उपयोग परिक्षेत्र एवं उप-परिक्षेत्र वर्णित हैं, जिनमें से शहडोल नगर की आवश्यकता अनुसार भू-उपयोग परिक्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं।

6.4.1 आवासीय

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6-सा-2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनाएँ, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जाएगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है।
4. म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किए जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-ज) में निहित प्रावधानों (समय-समय पर संशोधन) के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए।

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा- 2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए.आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.)				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में)	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)
						अग्र	पार्श्व	आन्त	बाह्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	7.5	12.5
2.	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5
3.	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5
4.	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5
5.	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5
6.	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5
7.	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5
8.	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5
9.	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5
10.	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5
11.	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5
12.	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5
13.	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5
14.	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5

नोट:

- उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
- आर-2 उपपरिक्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे एवं सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर मान्य होगी।
- सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाए भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
- भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य आकार का हो, पर पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS) निर्धारित करते समय यदि भिन्नता उत्पन्न होती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जाएगी।
- सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं एवं सुविधाओं के निर्धारण के उद्देश्य से घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 5.0 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जाएगा।

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई, तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

6.4.1.1.1 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम सामुदायिक खुला क्षेत्र 10 प्रतिशत।
2. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.00 प्रतिशत।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6-सा-3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा:

आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6-सा- 3

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रनुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.00
180 वर्गमीटर से अधिक	60%	1.00

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 90 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोणियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोणियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा-4

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मी. में)	सम्मुख सीमान्त खुला क्षेत्र	भू-आच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	5	6	7
1.	6.0 X 9.0	54	6.00	50	1.5
2.	9.0 X 15.0	135	6.00	50	1.5
3.	12.0 X 18.0	216	6.00	50	1.5
4.	18.0 X 24.0	432	6.00	50	1.5

टीप :-

- मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर भवन रेखा तदनुसार परिवर्तित मानी जावेगी।
- 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर सीमान्त खुले क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप होंगे। भू-खण्ड अनियमित आकार के होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमान्त खुले क्षेत्र निर्धारित किए जा सकेंगे।
- 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।
 - 18 मीटर एवं उससे अधिक 1.75
 - 24 मीटर एवं उससे अधिक 2.0
- सारणी में दर्शाए गए क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांक के मानक लागू होंगे।
- वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार की जावेगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/ क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।
- भवन रेखा मार्गों की चौड़ाई अनुसार निर्धारित की जा सकेगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0 मीटर एवं उससे अधिक	12.0 मीटर
18.0 मीटर एवं उससे अधिक	15.0 मीटर
24.0 मीटर एवं उससे अधिक	18.0 मीटर
- वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6-सा-5 में वर्णित हैं।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6-सा- 5

क्र	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 11 प्रतिशत (10+1)
4.	मार्गों की चौड़ाई - बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर 18 मीटर 3 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.4.4.1 मध्य क्षेत्र

अधिकतम भू आच्छादन निम्नानुसार रहेगा।

- 25 वर्ग मी. से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड 100 प्रतिशत
- 25 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड 80 प्रतिशत
- फर्शी क्षेत्रानुपात सारणी 6-सा-4 अनुसार

टीप :-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी एवं निर्मित क्षेत्र को आधार मानते हुए अनुज्ञा दी जा सकेगी।
2. मध्यक्षेत्र की सीमाएं अध्याय-4 में वर्णित की गई है। निम्न नियमन एवं मापदण्ड, मध्यक्षेत्र की सीमा बांधने वाले वर्तमान मार्गों के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होंगे, साथ ही बाहरी ओर भी उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30.00 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा पर भी ये नियमन एवं मापदण्ड लागू होंगे।

3. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप अथवा स्थानीय परिस्थिति अनुसार मान्य होगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
4. 25 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्डों में न्यूनतम 4.5 मीटर खुला क्षेत्र पर ऑफ स्ट्रीट वाहन विराम हेतु रखा जायेगा एवं स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/ क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।
5. वाहन विराम म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार रखना आवश्यक होगा।
6. नगर के प्रमुख मार्ग पर जिनकी चौड़ाई 18.00 मीटर या अधिक होने भवन रेखा मार्ग चौड़ाई पश्चात न्यूनतम 6.00 मीटर पर निर्धारित की जावेगी।
7. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्ड में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड पर छोड़ी गई भूमि का दो गुना फर्शी क्षेत्र अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

6.4.5 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.4.6 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

5.4.1.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय/ गैर वाणिज्यिक/गैर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ।

5.4.1.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे।

5.4.1.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र की स्वीकृत गतिविधियाँ सम्मिलित व स्वीकार्य होंगी।
3. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
4. मिश्रित उपयोग से अलग-अलग क्षेत्रों में निकटतम व्यवसायिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आएगी, किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

5.4.1.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए. आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिए भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु परिसर अनुसार प्रावधान मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किया जा सकेगा।
3. 12.00 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियाँ जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ एवं उनका मिश्रण मान्य किया जा सकेगा।

6.4.8 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन निम्नानुसार हैं—

1. शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकताएँ म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 के परिशिष्ट-अ में दिए गए अनुसार होंगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।

4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 के परिशिष्ट-छ: में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 6-सा- 6

क्र.	श्रेणी	अधिकतम भू-आच्छादन	एफ.ए. सार.	न्यूनतम मान चौड़ाई (मी. मी)
1	2	3	4	5
1	शैक्षणिक भवन			
	1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.00	12.0
	2. प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.00	12.0
	3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.00	18.0
2	4. महाविद्यालय	25 प्रतिशत	1.00	24.0
	स्वास्थ्य			
	हॉस्पिटल - 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.00	24.00
	हॉस्पिटल - 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.00	24.00
	हॉस्पिटल - 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.00	18.00
	नेच्रोपेथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.00	18.00
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.00	18.00
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.00	18.00
	पॉलीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.00	12.00
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.00	12.00
ब्लड बैंक/पैथालॉजी सेन्टर इत्यादि	30 प्रतिशत	1.00	12.00	
फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.00	12.00	
3	सार्वजनिक उपवाषिता एवं सेवा			
	पुलिस चौकी	35 प्रतिशत	1.00	12.0
	पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित	25 प्रतिशत	1.00	12.0
	सामुदायिक भवन	35 प्रतिशत	1.00	12.0
	उप अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0
	अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0
	डाक एवं तार	35 प्रतिशत	1.00	12.0
विद्युत सब स्टेशन	-	-	-	
4	धार्मिक भवन	30 प्रतिशत	1.00	12.0
5	शासकीय/बहु-शासकीय कार्यालय	35 प्रतिशत	1.00	12.0

नोट -

1. उपरोक्त गतिविधियों के क्षेत्रफल संबंधित संस्थान एवं मध्यप्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग/स्थानीय कार्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल के अनुरूप मान्य होंगे, एवं सीमान्त खुले क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे।

2. उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएँ सम्मिलित नहीं हैं, उनके भू-आच्छादन क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। ऐसी सुविधाएँ जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिए आच्छादन क्षेत्र कॉलम 3 के अनुसार रहेगा।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधाओं हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार होंगे।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्नानुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा-7

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
	वृत्त खण्ड केन्द्र	
	उपवृत्त खण्ड केन्द्र	
	सुलभ शॉपिंग	
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्प्लेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	विद्यालय	
	प्राथमिक	3 से 4 इकाई

	माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक	5 से 6 इकाई
	उद्यान	
6.	नगर उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार
	स्थानीय उद्यान	2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक / रेलवे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किए गए सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीपः प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

टीपः- ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र 18.00 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्वीकार्य होंगे।

6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

इसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी- यातायात नगर, मेकेनिक नगर, ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स एवं सुधार की दुकानें, रात्रि विश्राम गृह, बोर्डिंग/लॉजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियाँ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं।

1. मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आकार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे।

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्रानुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा परिक्षेत्रिक योजना तैयार कर निर्धारित मापदण्डों

एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक परिक्षेत्रिक योजना लागू नहीं होगी तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।

2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र -	
1. सम्मुख	6.0 मीटर
2. अन्य तीन ओर	4.50 मीटर
अन्य नियंत्रण-	
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12.0 मीटर
पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।	

6.5.10 मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1:0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.00 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र-	
सम्मुख	6.00 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर
अन्य नियंत्रण-	

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।

- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी। शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

6.5.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य मण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

- अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात— 1:0.40
- अधिकतम निर्मित क्षेत्र— 40 प्रतिशत
- भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई— 12.0 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र —
 - (अ) सम्मुख 6.00 मीटर
 - (ब) अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे।

6.5.15 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत अनुषांगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे एवं बैठक कॉरिडोर के नीचे दुकानें स्वीकार्य की जा सकेंगी।

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं:

1. मुड़ना नदी के दोनों किनारों पर नदी सीमा से 15.00 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
2. बड़े तालाबों की स्थिति में 20.00 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
3. नाले, शाखा नहर, छोटे तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा।

4. नहर हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
5. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा।
6. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा।
7. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
9. संवदेनशील क्षेत्रों में रख-रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।
10. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल को अवशेष अधिनियम के अनुसार संरक्षित किया जाएगा। ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व के भवन, प्राचीन वास्तुकला भवन (निजी आधिपत्य के भी) एवं समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन सम्मिलित हैं।

6.7 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसरों का वर्णन सारणी 6-सा-8 में दिया गया है।

सपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियाँ

सारणी 6-सा-8

S. no.	Activity	Residential		Commercial		Industrial	Recreational			Agriculture		Transport		Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1	Apartment Housing	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP
2	Residential Plot/ Plotted Housing	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
3	Group Housing/ Row Housing/ Cluster Housing	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP
4	Residential Dwelling Units	P	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP
5	Children Home	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	P	NP
6	Old age Home	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	P	NP
7	Beauty Parlors	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
8	Gymnasium	P	P	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP
9	Open/ Play Ground	P	P	NP	P	P	P	P	P	P	NP	NP	NP	P	NP
10	Hotels	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
11	Whole Sale Market	NP	P	C	C	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP

S. no.	Activity	Residential		Commercial		Industrial	Recreational			Agriculture		Transport		Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF	
26	Call Centers	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
27	Bank/ATM	P	P	C	P	P	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	P	P
28	Cinema	P	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP
29	Multiplex	P	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP
30	Fuel Filling Station/ Fuel Filling cum Service Station/ Battery Swapping Station	C	P	P	P	P	P	C	NP	P	P	NP	NP	P	NP
31	Auto Service Station	NP	P	NP	P	P	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	P	NP
32	Vocational Training Institute/ Management Institute	P	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP
33	Coaching Institute	P	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP
34	Barat Ghar/ Mangalik Bhawan/ Marriage Garden	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	P	NP
35	Ware Housing/ Storage other than Agricultural Products	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP
36	Depot for Inflammable Substance	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP
37	Cold Storage/ Agriculture Based Product Storage	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP
38	Milk Chilling Plant/ Dairy Plant	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP
39	Junkyard	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP

S. no.	Activity	Residential		Commercial		Industrial	Recreational			Agriculture		Transport		Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF	
54	Guest House	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
55	Night Shelter	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
56	Dharamshala	P	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
57	Electric Vehicle Charging Station	C	P	P	P	P	NP	C	P	NP	NP	NP	P	NP	NP
58	University	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
59	Law College/ Management College/ Other Professional College/ Sports/ Training Institute/ Hotel Management Institute/ Physical Training Centre	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP
60	Pre-Primary School/Nursery School/ Primary School	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
61	Secondary School/ Senior Secondary School	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP
62	Naturopathy Centre	P	P	NP	NP	NP	NP	C	C	NP	NP	NP	P	NP	NP
63	Health Centre	P	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
64	Nursing Home/ Maternity Home	P	P	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
65	Poly Clinic/ Clinic/ Dispensary	P	P	NP	P	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
66	Pet Clinic	P	P	NP	P	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
67	Blood/ Plasma Bank/ Semen Bank/ Pathology Centers/ Clinical Laboratory	P	P	NP	P	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP

S. no.	Activity	Residential		Commercial		Industrial	Recreational			Agriculture		Transport		Semi Public	Public Utilities and Facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF	
58	Physiotherapy Centers	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
59	Govt. and Semi Govt. Offices	P	P	NP	P	NP	NP	NP	C	NP	NP	P	P	NP	NP
70	Professional Offices/ Chambers	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
71	Jail	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP
72	Police Station/ Chowki	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	P	P
73	Post Offices	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	P	P
74	Radio/ TV Station	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	P	P
75	Museum/ Art Gallery	P	P	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
76	Community Centre	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
77	Library	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
78	Science Centers	P	P	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
79	Exhibition Centre	P	P	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP
30	Bus Stop/ Pick Up Station	P	P	NP	P	NP	P	P	P	P	P	P	P	P	P
31	Parking Lots	P	P	NP	P	NP	P	P	P	NP	NP	P	P	P	P

S. no.	Activity	Residential		Commercial		Industrial	Recreational			Agriculture		Transport		Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	PUF		
82	Cargo/Container Yard	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
83	Swimming Pool	P	P	NP	NP	C	C	C	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
84	Club/ Resort	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	P	NP	P	NP
85	Golf Course	NP	NP	NP	NP	P	P	P	NP	NP	NP	P	NP	P	NP
86	Water Park/ Amusement Park	P	P	NP	NP	C	C	C	NP	NP	NP	P	NP	P	NP
87	Zoo	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	P	NP
88	Horse Riding School	NP	NP	NP	NP	C	C	NP	NP	NP	NP	P	NP	P	NP
89	Velodrome/ Stadium	NP	NP	NP	NP	C	C	NP	NP	NP	NP	P	NP	P	NP
90	Motels	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	C	NP	NP	NP
91	Apiary	NP	NP	NP	NP	C	P	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	NP
92	Floriculture	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	NP
93	Nursery	P	P	NP	P	P	P	NP	P	NP	NP	P	NP	P	NP
94	Telephone Exchanges	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	P	NP	P	P
95	Wireless Stations	P	P	NP	P	C	C	C	P	NP	NP	P	NP	P	P

S. no.	Activity	Residential		Commercial		Industrial		Recreational			Agriculture		Transport		Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF		
96	Fire Station	P	P	NP	P	C	C	C	P	NP	NP	P	NP	NP	P	P
97	Telecom Tower & Station	P	P	NP	P	C	C	C	P	NP	NP	P	NP	NP	P	P
98	Waste Water Treatment Plant	P	P	NP	P	C	P	NP	P	NP	NP	P	NP	C	P	P
99	Sewage Treatment Plant	C	C	NP	C	C	P	NP	P	NP	NP	P	NP	C	P	P
100	Water Storage Tanks & Pumping Station	P	P	NP	P	P	P	NP	P	NP	NP	P	NP	C	P	P
101	Sewage Pumping Station	P	P	NP	P	C	C	P	P	NP	NP	P	NP	C	P	P
102	Water Treatment Plant	P	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	NP	P	NP	C	P	P
103	Slaughterhouse	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	C	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP
104	Crematorium/ Burial Ground/ Cemetery/ Electric Crematorium	NP	NP	NP	C	NP	C	NP	C	NP	C	P	C	NP	NP	P
105	Electric Sub-Station	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
106	Nonpolluting Industries	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	P	NP
107	Agricultural Tourist Facilities	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	P	C	NP	NP	NP
108	Religious Premises/ Building	P	P	NP	C	NP	C	NP	P	NP	NP	P	P	NP	P	NP
109	Social Welfare Centre	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	C	NP	P	NP

S. no.	Activity	Residential		Commercial		Industrial	Recreational			Agriculture		Transport		Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF	
136	Nursing & Paramedical Institute	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	
137	Veterinary Institute	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	
138	School for Specially Abled	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	
139	Integrated Residential School	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	
140	Social & Cultural Institute	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	
141	Industrial Training Institute	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	
142	Sport Training Institute	P	P	NP	P	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	P	NP	
143	Research and Development Center	C	C	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	
144	Music, Dance and Drama Centre	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	
145	Motor Driving Training Centre	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	
146	Voluntary Health Service	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	
147	Telecommunication Centre	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	P	
148	Observatory & Weather Office	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	P	
149	Shooting Range	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	C	NP	NP	NP	C	NP	

S. no.	Activity	Residential		Commercial		Industrial	Recreational			Agriculture		Transport		Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF	
150	Forensic Science Lab	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
151	Brick Klin, Refractories	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
152	Agriculture Operation (as mentioned in MP TCP Act 1973)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP
153	Stud Farm	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP
154	Poultry/ Dairy/ Piggery Farm	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP
155	Farm House	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP
156	Recreational Club	P	P	NP	NP	C	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP
157	Sports Complex	P	P	NP	P	NP	NP	NP	C	P	NP	NP	NP	P	NP
158	Regional Park	NP	NP	NP	NP	P	P	P	P	P	NP	NP	NP	NP	NP
159	Orchard	P	NP	NP	NP	P	P	P	C	P	NP	NP	NP	NP	NP
160	Zoological Garden/ Park	NP	NP	NP	NP	P	P	P	C	P	NP	NP	NP	NP	NP
161	Open Mall	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP
162	Industrial Plots	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
163	Transport Nagar	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	P	NP	NP	NP

S. no.	Activity	Residential		Commercial		Industrial		Recreational			Agriculture		Transport		Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF		
164	Open Gym	P	P	NP	NP	NP	C	C	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP
165	Residence cum Workspace	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

T-1 Bus Stand: कुल भूमि का 30 प्रतिशत क्षेत्रफल बस स्टैण्ड से संबंधित वाणिज्यिक एवं प्राशासनिक उपयोग के लिये मान्य होगा। शेष 70 प्रतिशत भूमि केवल बस पार्किंग हेतु उपयोग में लानी होगी।

नोट:

1. P: स्वीकार्य गतिविधि
2. C: ये गतिविधियाँ इस अध्याय में दिए गए नियमों के अध्याधीन स्वीकार्य हो सकेंगी तथा गुण-दोष के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्वीकार्य की जा सकेंगी।
3. NP: अस्वीकार्य गतिविधि
4. उपरोक्त संरणी में जो गतिविधियाँ सम्मिलित नहीं हैं, उन गतिविधियों के लिए स्वीकार्यता एवं नियमन उनके समकक्ष गतिविधियों के अनुरूप होंगे।
5. आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के अंतर्गत जिन गतिविधियों को C से दर्शाया गया है, इन गतिविधियों के मापदण्ड आमोद-प्रमोद के पैरा में दिए मापदण्ड ही लागू होंगे।
6. स्वीकृत उपयोग/परिसर का फर्शीक्षेत्रानुपात व अन्य नियमन यदि अन्यथा वर्णित न हों तो उस भू-उपयोग परिक्षेत्र में अनुज्ञेयता के समतुल्य होंगे। कृषि उपयोग परिक्षेत्र के स्वीकृत उपयोग परिसर में यदि अन्यथा वर्णित न हो तो अधिकतम एफ.ए.आर. 0.40 मान्य होगा।
7. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत उद्यान में सरल क्रमांक 22, 75, 78, 79, 83, 86, 108, 111, 140 एवं 156 में उल्लेखित गतिविधियाँ 5 प्रतिशत अनुषंगिक गतिविधियों के अंतर्गत स्वीकार्य होंगी।
8. सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्य-प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।

9. गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्य-प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

10. कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्य-प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार।

टीप: उपरोक्त क्र. 8 एवं 9 के भू-खण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर होगी।

6.8 अन्य सुविधाएँ

शहडोल निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार।

6.10 आवासीय भूखण्डों पर पूर्व से निर्मित अन्य उपयोगों के अधिभोग परिवर्तन हेतु प्रावधान

पूर्व अनुमोदित अभिन्यास के भूखण्डों पर मार्ग की चौड़ाई संबंधी मापदण्ड पूर्ण होने पर, मिश्रित उपयोग के लिए सशुल्क अधिभोग परिवर्तन किया जा सकेगा। स्थानीय निकाय इस संबंध में एकमुश्त अधिभोग परिवर्तन शुल्क, वार्षिक परिवर्तन शुल्क एवं यथा आवश्यक पाकिंग प्रीमीयम का निर्धारण कर सकेगा, किन्तु इस हेतु लिया जाने वाला न्यूनतम शुल्क शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय- 7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा। यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य, चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः शहडोल नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय, अर्द्ध-शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

शहडोल विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 139128.23 लाख का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 685.55 हेक्टेयर, भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नए मार्गों का निर्माण, आदि शामिल हैं। भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 50.00 लाख प्रति हेक्टर मानी गई है। जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग-अलग माना गया है। सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7-सा-1 में दर्शाया गया है। क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी।

शहडोल: योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7-सा-1

क्र	भू उपयोग	क्षेत्र (हे. में)		भू-अर्जन लागत (रु. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास			कुल लागत (रु. लाख में)
		विकास हेतु उपलब्ध भूमि	भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आवासीय	1340.92	335.23	16761.51	804.55	90.00	72409.71	89171.22
2	वाणिज्यिक	16.70	3.34	167.01	10.02	120.00	1202.48	1369.49
3	मिश्रित	12.46	9.96	498.21	7.47	120.00	896.78	1395.00
4	औद्योगिक	295.73	59.15	2957.33	177.44	90.00	15969.56	18926.88
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	19.69	14.76	738.25	11.81	90.00	1063.08	1801.32
6	आमोद-प्रमोद	219.15	164.36	8218.04	131.49	55.00	7231.87	15449.91
7	यातायात एवं परिवहन	117.17	93.74	4686.99	70.30	90.00	6327.43	11014.42
योग		2021.82	680.55	34027.33	1213.09	655.00	105100.91	139128.23

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश।

टीप:- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप।
2. भूमि का कुशलतम उपयोग।
3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारण।
4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम।
2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं। अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुर्नचक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं।

1. नदी एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा—

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व:-

1. नियंत्रित विकास
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा। वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, पृष्ठ खण्ड एवं उपपृष्ठ खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शाराकीय/

अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में विकास नियमन दिए गए हैं।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 3 चरणों में प्रावधान हैं। प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु, द्वितीय चरण 2026 से 2030 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा तृतीय चरण 2031 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।

2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है।
3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगा:
 1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
 2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूप दे सके।
 3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना।
 4. योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोतों का विकास।
 5. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
 6. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।
 7. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके।
 8. मुख्य जल स्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

7.7 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं—

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना।
4. अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
5. भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7-सा-2

क्र.	विकास के घटक	प्रस्तावित स्थल
1	2	4
1.	आवासीय	ग्राम सोहागपुर, ग्राम
2.	वाणिज्यिक	ग्राम नरसरहा सिंगपुर मार्ग पर
3.	औद्योगिक	ग्राम नरसरहा वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र
3.	मिश्रित	वर्तमान बायपास से लगकर
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	ग्राम कुदरी एवं ग्राम सोहागपुर में मानपुर रोड़
5.	आमोद-प्रमोद	ग्राम कुदरी, गोरतरा, चंदनिया, नरसरहा एवं विभिन्न जलाशयों का सौंदर्यीकरण
6.	यातायात	एस.आर-1, एस.आर-4, ग्राम सोहागपुर, ग्राम देवगवां

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश।

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7-सा-2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थानों के द्वारा किया जाता है। इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 204.16 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 41738.47 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7-सा-3 में दिया गया है।

शहडोल: प्रथम चरण लागत

सारणी 7-सा-3

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	भू-अर्जन का भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन की लागत (रु. 50.0 लाख प्रति हे०) (रु. लाख में)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में) (4+7)
				भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	आवासीय	102.14	5107.20	245.15	90.00	22063.11	27170.31
2.	वाणिज्यिक	1.00	50.10	3.01	120.00	360.74	410.85
3.	औद्योगिक	2.99	149.46	2.24	120.00	269.04	418.50
4.	मिश्रित	17.74	887.20	53.23	90.00	4790.87	5678.07
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	4.43	221.47	3.54	90.00	318.92	540.40
6.	आमोद प्रमोद	49.31	2465.41	39.45	55.00	2169.56	4634.97
7.	यातायात एवं परिवहन	28.12	1406.10	21.09	90.00	1898.23	3304.32
कुल विकसित क्षेत्र		204.16	10208.20	363.93	-	31530.27	41738.47

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश।

टीप:- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा।

7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के

माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
2. शहडोल विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन, तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है।

7.10.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व शहडोल नगर पालिका परिषद् का होगा। अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगी। अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/45/32/2010 दिनांक 15.04.2010 द्वारा संभागायुक्त शहडोल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

7.10.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण/नगर पालिका परिषद् द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.11 योजना की व्याख्या

शहडोल विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6-सा-10 विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत/स्वीकार्य भू-उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर

मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा।

5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के हैं। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है।

7.11.1 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। शहडोल नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः शहडोल विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतुप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

अनुसूची

परिभाषायें

001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।

002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों

003 आवासीय प्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।

004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।

005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।

010 रैन-बसेरा (नाइट शैल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाता हो।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

024 वाणिज्यिक कार्यालय

एक अर्थात् परम्परावादी संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

- 025 बैंक**
ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।
- 026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला**
वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।
- 027 छविगृह**
दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।
- 028 पेट्रोल पंप**
ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।
- 029 रेस्टॉरेंट/उपहार गृह**
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।
- 030 होटल**
ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।
- 031 मोटल**
ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।
- 032 फ्लैटेड समूह उद्योग**
ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।
- 033 सेवा केन्द्र**
ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।
- 034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग**
अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।
- 035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग** ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

037 क्रीडांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाइन द्वारा टिकट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विश्राम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल-मल पंपिंग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

068 क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।

073 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

074 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल हैं।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

091 समागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।

100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थायी स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावरस जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

परिशिष्ट-1

मध्य प्रदेश राजपत्र भाग(2) पृष्ठ 336

दिनांक 24.05.1974 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 18 अप्रैल, 1974

क्रमांक 1252/एफ-1-41/33/74- मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शहडोल निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएँ नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं:

अनुसूची

शहडोल नगर की सीमाएं

1. उत्तर — कुदरी, कोटमा, बेलहा, और सोहागपुर गाँव की उत्तरी सीमा।
2. पूर्व — जमुआ, जमुई और गोरतरा गाँव की पूर्वी सीमा।
3. दक्षिण — शहडोल नगर की वर्तमान दक्षिणी सीमाएं।
4. पश्चिम — देवगवां, चन्दनिया, बंधवा खुर्द तथा कल्याणपुर गाँव की पश्चिमी सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नवलचन्द्र जैन, उपसचिव.

परिशिष्ट-2**म.प्र. राजपत्र भाग 3(1) पृष्ठ 1504 दिनांक 7.9.1979 में प्रकाशित
कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, रीवा (म.प्र.)**

शहडोल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों के वर्तमान भू-उपयोग मानचित्रों एवं रजिस्ट्रों का अंगीकरण :-

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि शहडोल निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अंगीकृत किया गया है और उनकी एक प्रति नगर पालिका परिषद्, शहडोल कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र कमांक 1252/एफ-1-41/तैंतीस-74 भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 1974 द्वारा शहडोल निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैं।

शहडोल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. उत्तर - कुदरी, कोटमा, बेलहा, और सोहागपुर गाँव की उत्तरी सीमा।
2. पूर्व - जमुआ, जमुई और गोरतरा गाँव की पूर्वी सीमा।
3. दक्षिण - शहडोल नगर की वर्तमान दक्षिणी सीमाएं।
4. पश्चिम - देवगवां, चन्दनिया, बंधवा खुर्द तथा कल्याणपुर गाँव की पश्चिमी सीमा।

आर. वी. लाल, संयुक्त संचालक.

परिशिष्ट- 3

(नियम 16 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(1) या 16 के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

.....

महोदय,

मैं नगर तहसील जिला
 के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार ग्राम में
 स्थित खसरा क्रमांक भू-खण्ड क्रमांक क्षेत्र
हेक्टर/वर्ग मीटर..... (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें)
 में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना
 चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर
 या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञाप्ति क्रमांक
 जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित
 तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित
 करता हूँ -

1. मुख्य रेखांक (नियम 16(3) अनुसार) :
2. स्थल रेखांक (नियम 16(4) अनुसार) :
3. उपविभाग/अभिन्यास योजना (नियम 16(5) अनुसार) :
 (सबडिवीजन/ले-आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16(7) अनुसार) :
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट :
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले
 दस्तावेज (नियम 16(11) अनुसार) :
7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16(11) अनुसार) :
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21(2) (झ) अनुसार) :
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें
 (जहां आवेदक स्वामी से भिन्न हो) :
10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान :
11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी :

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

ई-मेल पता

दूरभाष/मोबाइल नम्बर

दिनांक

परिशिष्ट- 4

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिये)

विकास अथवा क्षेत्रिय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी

.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर/जिला
मौहल्ला/बाजार/तहसील कालोनी/गली/ग्राम में
भूखण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ।
क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिये
उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक
योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की
अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर

आवेदक अथवा स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता

दिनांक :-

परिशिष्ट- 5

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल**

कमांक/2876/नग्रानि/वि.यो./98
प्रति,

भोपाल दिनांक 15 मई 1998

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र प्राधिकरण
2. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर निगम/नगर पालिका

विषय विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ-3/130/32/97 दिनांक 20.1.98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है-

1. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी।
 - (अ) नगरीय अद्योसंरचना का विकास
 - (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
 - (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों/उपकेन्द्रों का विकास
 - (द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
2. समिति निम्नलिखित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी
 - (अ) कार्यक्रम का चयन
 - (ब) परियोजना तैयारीकरण
 - (स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
 - (द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार।
3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिंदु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

हस्ता/-

(के.के. सिंह)

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.

परिशिष्ट- 6

परिशिष्ट 'क'-1

(नियम 14 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 या 29(1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रारूप

प्रति,

.....

महोदय,

मैं नगर तहसील जिला के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार ग्राम में स्थित खसरा क्रमांक भू-खण्ड क्रमांक क्षेत्र हेक्टर/वर्ग मीटर..... (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक

..... जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ -

1. मुख्य रेखांक (नियम 16(3) अनुसार) :
2. स्थल रेखांक (नियम 16(4) अनुसार) :
3. उपविभाग/अभिन्यास योजना (नियम 16(5) अनुसार) :
(सबडिवीजन/ले-आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16(7) अनुसार) :
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट :
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज (नियम 16(11) अनुसार) :
7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16(11) अनुसार) :
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21(2) (झ) अनुसार) :
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदक स्वामी से भिन्न हो) :
10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान :
11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी :

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

ई-मेल पता

दूरभाष/मोबाइल नम्बर

दिनांक

परिशिष्ट-7

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिये)

विकास अथवा क्षेत्रिय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी

.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर/जिला में
मौहल्ला/बाजार/तहसील कालोनी/गली/ग्राम में
भूखण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ।
क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिये
उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक
योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की
अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर

आवेदक अथवा स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता

दिनांक :-

परिशिष्ट- 8

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 15.04.2010

क्रमांक-एफ-345/32/2010: राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97 दिनांक 20.01.1998 आदेश क्रमांक एफ-3-55/32/98, दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97, दिनांक 3 मई 2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" को एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | सांसद, संबंधित क्षेत्र | सदस्य |
| 3. | अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. | अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत | सदस्य |
| 5. | महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम | सदस्य |
| 6. | निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायक | सदस्य |
| 7. | अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका | सदस्य |
| 8. | अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत | सदस्य |
| 9. | मध्यप्रदेश गृहनिर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 10. | संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत | सदस्य |
| 11. | लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 12. | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 13. | मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 14. | संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी | सदस्य |
| 15. | संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, संबंधित जिला कार्यालय | सदस्य सचिव |

(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ब) सदस्य सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का सकारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(स) क्रियान्वयन संस्थायें अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव,